teri
THE ENERGY AND RESOURCES INSTITUTE
Creating Innovative Solutions for a Sustainable Future

आद्री ADRI

CSEC
CENTRE FOR STUDIES ON ENVIRONMENT AND CLIMATE

मैनुअल
हरित बजट

मैनुअल

हरित बजट

वित्त विभाग

बिहार सरकार

एक तकनीकी सहयोग

द ईनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीच्यूट

और

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट

2024

© वित्त विभाग, बिहार सरकार, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट, द ईनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीच्यूट। इस दस्तावेज की सामग्री सार्वजनिक वस्तुएं हैं और हरित बजटिंग को आगे बढ़ाने के उद्देष्य से इसका प्रसार और उपयोग किया जा सकता है।

मार्गदर्षन
डा. एस. सिद्धार्थ (भा प्र से), अपर मुख्य सचिव (पूर्व), वित्त विभाग, बिहार सरकार
डा. अश्मिता गुप्ता, सदस्य सचिव, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट
डा. प्रोदीप्तो घोष, डिस्टिंग्यूष्ड फेलो, द ईनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीच्यूट

लेखक
डा. शैली केडिया, सीनियर फेलो, द ईनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीच्यूट– टेरी
डा. सुनील कुमार गुप्ता, रिसर्च लीड, सेन्टर फॉर स्टडीज ऑन इन्वायर्नमेंट एंड क्लाइमेट– आद्री
डा. रीता पांडेय, स्वतंत्र विषेषज्ञ, लोक वित्त
सुश्री गज़ल हाशमी, रिसर्च एसोसिएट, सेन्टर फॉर स्टडीज ऑन इन्वायर्नमेंट एंड क्लाइमेट– आद्री

ग्राफिक डिजाइनर
.....

प्रकाशक
एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट
आद्री लेन, बीएसआइडीसी कॉलोनी, ऑफ बोरिंग–पाटलीपुत्र रोड, पटना, (बिहार)– 800 013
Phone: 91–612–2575649 | Email: adripatna@adriindia.org
अक्टूबर, 2024

डिस्क्लेमर
इस मैनुअल में व्यक्त विचार और राय पूरी तरह से लेखकों के हैं, और जरूरी नहीं कि बिहार सरकार, या परामर्ष के दौरान जुड़े किसी संगठन, समिति या अन्य समूह या व्यक्ति के हों।

अभिस्वीकृति
हम इस मैनुअल के निर्माणात्मक चरणों में स्वर्गीय डा. प्रभात पी. घोष के महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभारी हैं। हम आद्री में पूर्व में सेवानिवृत्त श्री विवेक तेजस्वी के प्रति गहन आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बिहार के लिए हरित बजटिंग की नीतियों में अपूर्व प्रयास किया। हम उन्हें सुश्री आस्था शर्मा और सुश्री निवेदिता चोलायिल के शोध योगदान के लिए भी आभारी हैं, जो पहले टेरी में काम करते थे।

विषय–सूची

अध्याय– 1 5

परिचय 5

[1.1] तर्काधार 5

[1.2] दृष्टिकोण 6

[1.3] मैनुअल का उद्देश्य 6

अध्याय– 2 8

राज्य सरकार की रणनीतिक हरित प्राथमिकताएं 8

अध्याय– 3 11

राज्य का वित्तीय एवं बजटीय परिदृश्य 11

[3.1] संस्थागत व्यवस्था 11

[3.2] वित्तीय लेखांकन 14

[3.2.1] बजट की मूल संरचना 14

[3.2.2] राज्य सरकार के संसाधन 16

[3.2.3] संसाधनों का व्यय 17

[3.2.4] योजना व्यय 18

[3.3] वित्तीय बजटिंग 18

[3.3.1] बजट चक्र 18

[3.3.2] बजट कैलेंडर 20

[3.3.3] वर्गीकरण प्रणाली 21

अध्याय– 4 24

मुद्दा–आधारित बजटिंग 24

[4.1] हरित बजटिंग की रूपरेखा 24

[4.2] जेन्डर बजटिंग 25

[4.3] बाल बजटिंग 25

[4.4] अंतराल 26

अध्याय– 5 27

हरित बजटिंग की प्रक्रिया और प्रविधि 27

[5.1] औचित्य 27

[5.2] परिभाषा 28

[5.3] उद्देश्य 30

[5.4] प्रक्रिया 31

[5.5] रेंज श्रेणियों की कार्यप्रणाली 34

[5.6] विषयों, गतिविधियों और एसडीजी का मानचित्रण 35

[5.7] हरित बजट विवरण की संरचना 40

[5.8] सीमाएं 41

अध्याय– 6 43

अनुषंसा और भावी दिषा 43

संदर्भ 44

अनुलग्नक: हरित बजट विवरण तैयार करने के लिए मानक टेम्पलेट/प्रोफार्मा 48

अध्याय– 1

परिचय

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति हेतु मानवजनित जलवायु परिवर्तन, जैव–विविधता की हानि और पर्यावरणीय क्षरण के समाधान के लिए योजना, सुसंगत नीति डिजाइन, व्यवस्थित दृष्टिकोण, सुदृढ़ संस्थान और अच्छी तरह से संरचित बजट के संदर्भ में तत्काल समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सभी विभागों द्वारा समय–समय पर बजट अभ्यास किया जाता है। वार्षिक सरकारी बजट तैयार करने के दौरान सभी विभाग जलवायु और पर्यावरणीय आयामों का ध्यान रखते हैं। वार्षिक बजट पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एसडीजी और जलवायु संबंधी कार्यों को विकास गतिविधियों की मुख्यधारा में लाने के लिए एक संभावित वाहक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी बजट का उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रतिबद्धताओं पर सरकार के क्रियाकलापों के मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा, 'हरित बजटिंग' बजटीय नीति निर्माण का एक तंत्र है जो धन, परिव्यय, व्यय के स्रोतों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से मानचित्रित करने और ट्रैक करने में मदद कर सकता है। यह समन्वित नीति डिजाइन और हरित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवधिक और निरंतर वित्तीय आवश्यकताओं की पहचान का समर्थन कर सकता है, जो जलवायु और पर्यावरणीय आयामों से संबंधित हैं। पूरे देश में राज्य वित्त विभाग द्वारा बिहार सरकार की यह पहली पहल है। बजटीय प्रक्रिया में शामिल व्यापक विषयगत पहलुओं में जलवायु परिवर्तन शमन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रदूषण निवारण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, सतत भूमि उपयोग, हरित बुनियादी ढांचा, सतत उपभोग और हरित अर्थव्यवस्था शामिल हैं।

[1.1] तर्काधार

चूंकि जिस तरह से सरकारें अपना पैसा खर्च करती हैं वह पर्यावरणीय लक्ष्यों/टारगेटों को प्राप्त करने की दिशा में सरकारों के कार्यों (पर्यावरणीय रूप से सकारात्मक/नकारात्मक) का संकेतक है। अतः सरकारी बजट संभावित रूप से नीति–निर्माताओं के लिए पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। इसके अलावा, सरकारी बजट का उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के प्रति सरकार के प्रदर्शन के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में एक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। प्रत्यक्ष व्यय के अलावा, नकारात्मक पर्यावरणीय बाह्यताओं को आंतरिक करने के लिए राजकोषीय नीति (कर, गैर–कर, सब्सिडी उपकरण) का उपयोग सरकारों द्वारा पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में 'हरित कार्यों' का एक और उदाहरण है।

वार्षिक बजट प्रक्रियाएं योजना और समन्वय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और इसे योजना प्रक्रियाओं में जलवायु संबंधी कार्रवाई और पर्यावरण संबंधी एसडीजी लक्ष्यों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य 17 का टारगेट 17.14 ''सतत विकास

के लिए नीतिगत सुसंगतता बढ़ाना'' है। बजट आर्थिक नीति में सतत विकास परिणामों को मुख्यधारा में लाने के माध्यम से नीतिगत सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण साधन है। हरित बजटिंग को संस्थागत बनाने से विभागों की मानसिकता सक्रिय हो सकती है और मौजूदा राजकोषीय दायरे में बेहतर योजना और समन्वय हो सकता है (सिन्हा एट अल 2015)। इस प्रकार, हरित बजट सभी विभागों में क्षैतिज रूप से सतत विकास को मुख्यधारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।

[1.2] दृष्टिकोण

हरित बजटिंग के लिए यह व्यापक दृष्टिकोण पर्यावरणीय स्थिरता को सतत विकास की क्षैतिज मुख्यधारा में प्रोत्साहित करने के लिए बॉटम–अप लेखांकन और योजना पर आधारित है। हरित बजटिंग का नीतिगत नवाचार निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

सिद्धांत 1: हरित बजटिंग पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाली योजनाओं के घटकों की पहचान करने के लिए बॉटम–अप प्रक्रिया का पालन करेगी।

सिद्धांत 2: हरित बजटिंग अभ्यास राज्य की रणनीतिक प्राथमिकताओं और जलवायु, जल, ऊर्जा, जैव विविधता, जिम्मेदार खपत और उत्पादन जैसे क्षेत्रों में पर्यावरण से संबंधित सार्वभौमिक सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित होगा।

सिद्धांत 3: हरित बजटिंग अभ्यास सतत विकास को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करेगा, जिसमें सभी विभागों को बजटिंग अभ्यास के माध्यम से सतत विकास के क्षैतिज एकीकरण में शामिल किया जाएगा।

सिद्धांत 4: हरित बजटिंग अभ्यास विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए सतत विकास के क्षैतिज एकीकरण के माध्यम से बजट प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने का प्रयास करेगा।

[1.3] मैनुअल का उद्देश्य

पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को अधिक ध्यान देने और राज्य बजट में अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। विभिन्न योजनाओं में पर्यावरण संबंधित घटकों के बजटीय संसाधनों के पर्याप्तता के साथ–साथ, राज्य सरकार मौजूदा वित्तीय दायरे और मौजूदा योजनाओं में भी नवाचार कर सकती है। इस संदर्भ में, राज्य सरकार के संबंधित विभागों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए बजटीय प्रक्रिया (पर्यावरण स्थिरता कार्यक्रमों पर आवंटन और व्यय सहित) को समझना वांछनीय है।

बजट का विश्लेषण उन्हें प्रभावी पैरोकारी और कार्यान्वयन रणनीतियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है जो बढ़ी हुई पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु संबंधी कार्रवाई में योगदान करते हैं। गतिविधियों, विषयों और लक्ष्यों का

मानचित्रण हमें उन अंतरालों की पहचान करने में भी सक्षम बनाएगी जो बेहतर योजना के साथ–साथ घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और निजी अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने में सक्षम हो सकते हैं।

इस मैनुअल का उद्देश्य है:

(क) एक उपकरण के रूप में हरित बजटिंग की परिभाषा, तर्क और उद्देश्यों को निर्धारित करना, जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान देता है

(ख) राज्य के लिए हरित बजटिंग की एक विधि को स्थापित करने वाले एक ज्ञान दस्तावेज के रूप में कार्य करना

(ग) राज्य सरकार के संबंधित विभागों के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करना जो हरित बजटिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे

(घ) हरित बजटिंग के महत्व पर सरकारों और नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) के बीच जागरूकता को बढ़ाना

[1.4] मैनुअल की संरचना

इस परिचायात्मक अध्याय के अलावा, वर्तमान मैनुअल में और पांच अध्याय हैं। अध्याय 2 में, मैनुअल मुद्दों और रणनीतिक प्राथमिकताओं के संदर्भ में राज्य सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अध्याय 3 में, राज्य बजट प्रक्रिया का एक अवलोकन दिया गया है। अध्याय 4, विषय–आधारित बजट अभ्यास की स्थिति का विवरण है। अध्याय 5 मैनुअल का ह्रदय है, जो हरित बजटिंग को परिभाषित करते हुए इसकी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को स्थापित करता है, लक्ष्यों को निर्धारित करता है, और हरित बजटिंग की चरण–दर–चरण प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। यह अध्याय मैनुअल की कार्यप्रणाली, मानचित्रण (विषयों, गतिविधियों, और एसडीजी का) और हरित बजट दस्तावेज की एक सांकेतिक संरचना प्रदान करता है साथ ही सीमाओं को भी प्रकट करता है। अंतिम अध्याय, अध्याय 6, अनुशंसाऔर आगे के रास्ते का सुझाव देता है।

अध्याय– 2

राज्य सरकार की रणनीतिक हरित प्राथमिकताएं

बिहार विकास के तीव्र पथ पर अग्रसर है और विकास के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण देश के अंदर और बाहर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह परिवर्तन राज्य के ठहराव के साथ ऐतिहासिक संघर्ष और इसकी सतत अविकसितता की स्थिति को देखते हुए विषेष रूप से उल्लेखनीय है। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो राज्य के निवासियों के लिए नई आशा और आकांक्षाओं की शुरुआत करता है। इन सकारात्मक बदलावों के पीछे प्रेरक शक्ति राज्य सरकार की समावेषी और त्वरित विकास एजेंडे के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है।

इस एजेंडा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने न केवल अपने सीमित संसाधनों का सबसे विवेकपूर्ण उपयोग किया, बल्कि अपनी प्रशासनिक मशीनरी को भी मजबूत किया है और कई संस्थागत सुधार किए हैं। परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था की पिछली विकास प्रक्रिया कोई अल्पकालिक घटना नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक स्थिर विकास प्रक्रिया की शुरुआत है। बिहार अर्थव्यवस्था के विकास में निरंतर तरक्की के लिए प्रयासरत है, साथ ही सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, संसाधन कुशलता, और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों के समाधान के लिए नीतियों और उपायों को लागू और कार्यान्वित कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की विकासात्मक और विकास संबंधी प्राथमिकताएं भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। इस व्यापक चर्चा में, हम कुछ अनुकरणीय चल रही पहलों पर चर्चा करेंगे जो बिहार की विकास यात्रा के पूरक घटकों के रूप में काम करती हैं :

1. जल–जीवन–हरियाली–मिशन:

बिहार वर्तमान में अपर्याप्त और अनियमित वर्षा और भूजल स्तर में धीरे–धीरे गिरावट सहित तेजी से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उत्पन्न जल संकट से जूझ रहा है। इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने 'जल–जीवन–हरियाली' योजना को एक मिशन के रूप में लागू किया है। इस महत्वाकांक्षी प्रयास में पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल करने, नए निर्माण करने और जल संचयन और भंडारण संरचनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं शामिल हैं। इस मिशन के तहत कुछ प्रमुख गतिविधियों में सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं की पहचान करना और उनका कायाकल्प करना, छोटी नदियों और नालों के साथ–साथ पहाड़ी जलग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, इस पहल में वन क्षेत्रों को छोड़कर, राज्य के पठारी क्षेत्रों में जल निकायों के निर्माण के लिए स्थानों की पहचान करना और राज्य भर के तलहटी क्षेत्रों में गारलैंड ट्रेंच स्थापित करना शामिल है। अपनी प्रगति के प्रमाण के रूप में, मिशन ने 1,663 योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 1,335 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इन पूर्ण

परियोजनाओं ने 1.21 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पैदा की है और 669.93 लाख क्यूबिक मीटर की जल संचयन क्षमता है।

इसके अतिरिक्त, बिहार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में 3.89 करोड़ पौधे लगाए। जल–जीवन–हरियाली मिशन के एक महत्वपूर्ण घटक में अस्पतालों, पंचायत संस्थानों, जेलों और स्कूलों जैसी सरकारी स्वामित्व वाली सुविधाओं का सार्वभौमिक सौरीकरण शामिल है, जिसे सभी जिलों में व्यापक रूप से वित्त पोषित और कार्यान्वित किया जा रहा है।

2. 'नीचे मत्स्य ऊपर बिजली' और फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं:

स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए राज्य सरकार फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। यह पहल न केवल नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि मछुआरा समुदाय को भी सक्रिय रूप से शामिल करती है, ताकि उन्हें इन प्रयासों से लाभ मिल सके और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की सुचारु स्थापना में मदद की जा सके।

3. जीविका – बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (बीआरएलपीएस):

जीविका के नाम से लोकप्रिय इस कार्यक्रम को बिहार में ग्रामीण गरीबी से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है। यह एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें गरीब, बिहार सरकार और विश्व बैंक शामिल हैं। बीआरएलपीएस का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संघों के विकास को सुविधाजनक बनाकर ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करना है, जो बदले में स्व–रोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए सेवाओं और ऋण तक बेहतर पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। जीविका के भीतर एक उल्लेखनीय पहल 'दीदी की नर्सरी' है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संदर्भ में स्थानीय उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की किस्मों की आपूर्ति पर केंद्रित है।

4. बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति:

परिवहन क्षेत्र में, 2019 में तैयार की गई बिहार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रस्ताव राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की ओर उन्मुख है। यह पहल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में निवेश के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करना भी है। इस नीति में उल्लिखित मिशन 2030 तक 100% विद्युत गतिशीलता प्राप्त करने के राष्ट्रीय प्रस्ताव का समर्थन करने, अंततः मैन्युअल रूप से खींचे जाने वाले रिक्शा को समाप्त करने और राज्य राजमार्गों पर 50 किलोमीटर के अंतराल पर फास्ट–चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर केंद्रित है। इस नीति का लक्ष्य राज्य में 2,500 करोड़ रुपये के जमीनी निवेश को आकर्षित करना है और राज्य में

10,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके हिस्से के रूप में, सर्वोच्च प्राथमिकता पैडल–रिक्शा से हटकर 2022 तक 100% इलेक्ट्रिक गतिशीलता की ओर बढ़ना है।

5. बस बेड़ा का विस्तार और स्वच्छ ईंधन पहल:

बिहार सक्रिय रूप से अपनी बस बेड़ा को विस्तारित कर रहा है और "FAME–II" के रूप में जानी जाने वाली केंद्रीय योजना में भाग ले रहा है। इस प्रयास में एक स्वच्छ ईंधन योजना भी शामिल है, जो 2019 में शुरू की गई पहल है जिसका उद्देश्य तिपहिया मालिकों को पेट्रोल/डीजल से चलने वाले वाहनों को सीएनजी या बैटरी संचालित किट्स से अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का लक्ष्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देना है, जिसमें सीएनजी और बैटरी संचालित वाहन शामिल हैं, और अंतिम उद्देष्य वैकल्पिक, कम कार्बन यातायात विकल्पों को स्थापित करना और पर्यावरणीय हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड (बीएसआरटीसी) बसों की खरीद और स्वच्छ ईंधन संबंधित पहलों के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, बीएसआरटीसी द्वारा बसों की खरीद के लिए कुल 40 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन रखा गया है, जिसमें सीएनजी बसों पर 11,41,50,000 रुपये का वास्तविक व्यय होगा। यह हस्तक्षेप बिहार में एक स्वच्छ ईंधन–आधारित (सीएनजी–आधारित) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

6. जलवायु अनुकूल कृषि:

बिहार में कृषि विभाग ने जलवायु अनुकूल कृषि प्रथाओं की आवश्यकता को देखते हुए राज्य को नियमित सूखे और बाढ़ों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। यह पहल 2019 में 8 जिलों के 40 गांवों में शुरू की गई थी और इसने बिहार के 1,00,000 से अधिक किसानों को जलवायु अनुकूल खेती विधियों से परिचित किया है। 2020 में, इस परियोजना का विस्तार 38 जिलों के 190 गांवों को शामिल करने के लिए किया गया था। मूल रूप से, यह पहल जलवायु–अनुकूल कृषि योजना के हिस्से के रूप में 14 फसल प्रणालियों की पहचान करती है, जिसका लक्ष्य जलवायु चुनौतियों के सामने बिहार के कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है।

निष्कर्षत:, बिहार की उल्लेखनीय वृद्धि और विकास यात्रा एक व्यापक विकास एजेंडे के प्रति राज्य की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो कि समावेषिता और तेज प्रगति को प्राथमिकता देती है। उपरोक्त विभिन्न पहलों का विस्तार से उल्लेख, बिहार की उत्साही प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो जल संकट, स्वच्छ ऊर्जा अनुकरण, ग्रामीण गरीबी निवारण, इलेक्ट्रिक वाहन अनुकरण, स्वच्छ परिवहन, और जलवायु अनुकूल कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है। ये पहल सामूहिक रूप से सतत विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय अनुकूलता के प्रति बिहार की प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं, जो इसे भारतीय परिदृश्य के भीतर परिवर्तनकारी प्रगति का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनाती है।

अध्याय– 3

राज्य का वित्तीय एवं बजटीय परिदृश्य

बजट तैयार करने की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। हालांकि भारतीय संविधान में 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह प्रावधान है कि राज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधान सभा के समक्ष रखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 (1) के तहत, प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाला एक वार्षिक वित्तीय विवरण बिहार विधान सभा के समक्ष रखा जाता है।

[3.1] संस्थागत व्यवस्था

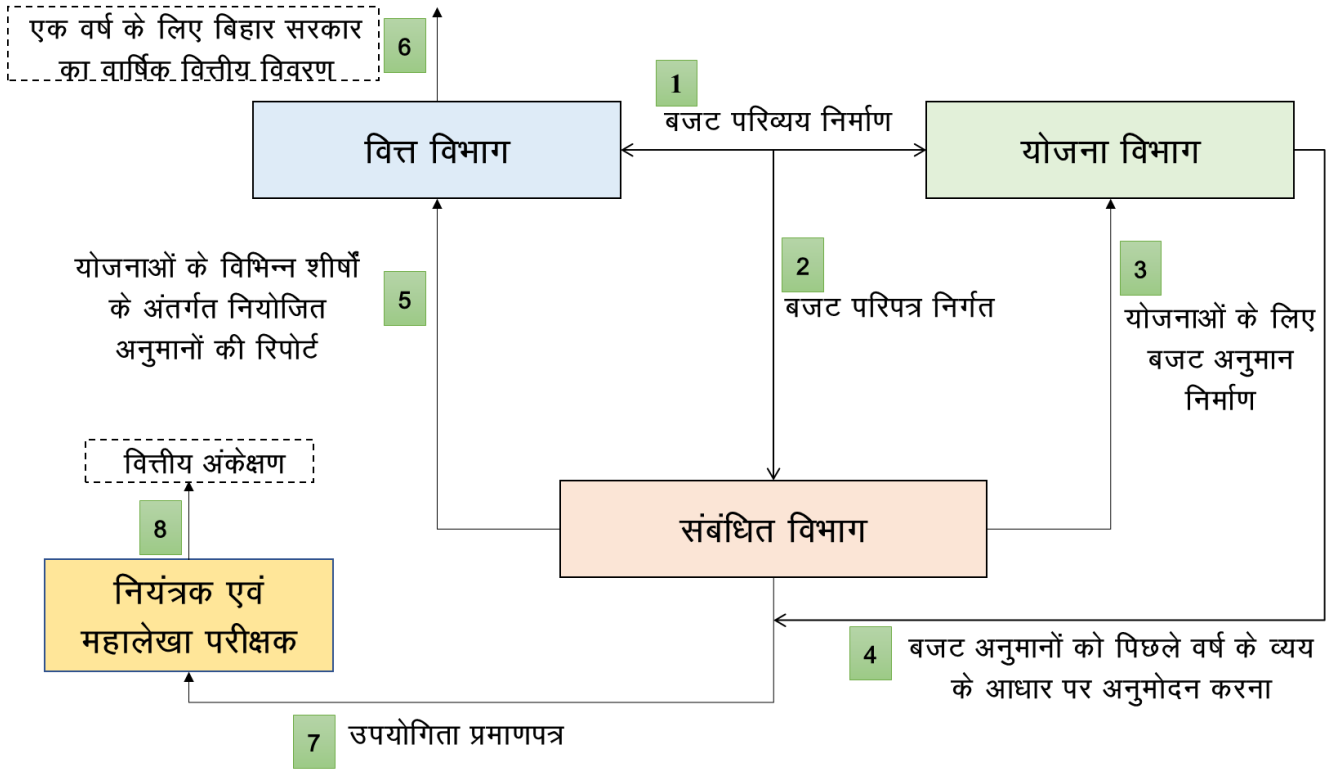

चित्र 1- बजट प्रक्रिया में प्रमुख हितधारक

वित्त विभाग एक नोडल विभाग है जो न केवल बजट तैयार करने में बल्कि बजट निष्पादन और नकदी प्रवाह और बहिर्वाह की निरंतर निगरानी में भी शामिल है। सरकार के वित्त को पारंपरिक रूप से वित्त विभाग द्वारा नियंत्रित किया गया है। अभूतपूर्व विकास और सरकारी गतिविधियों की जटिलता के साथ प्रशासनिक विभागों को कई शक्तियां सौंपी गई हैं, लेकिन वित्त विभाग के पास समन्वय और नियंत्रण की समग्र जिम्मेदारी बनी हुई है।

वित्त मंत्री, वित्त (बजट) विभाग सहित अन्य विभागों के सहयोग से बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण और सरकार के लिए एक वर्ष के दौरान आवश्यक होने पर अनुपूरक बजट समेत अन्य बजट संबंधित दस्तावेज़ शामिल होते हैं। वित्त (बजट) विभाग बजट अनुमान तैयार करने के लिए निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने और सभी संबंधित विभागों से इसकी समय पर प्राप्ति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। वित्त (बजट) विभाग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. तरीकों और साधनों सहित नकदी प्रबंधन, आरबीआई से ओवरड्राफ्ट आदि
2. अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदान सहित राज्य बजट तैयार करना
3. राज्य सरकार और सरकारी गारंटी प्राप्त संस्थानों का बाजार उधार कार्यक्रम
4. राज्य सरकार का ऋण ग्रहण और ऋण प्रदान के लिए ब्याज दरों का रखरखाव
5. राज्य की आकस्मिकता निधि एवं आकस्मिकता निधि का प्रबंधन
6. राज्य सरकार की बजटीय स्थिति की निगरानी
7. व्यय का विनियमन
8. वित्तीय आपातकाल लागू करना
9. लेखा प्रस्तुत करना

योजना एवं विकास विभाग राज्य की बजटीय प्रक्रिया और सार्वजनिक वित्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योजना एवं विकास विभाग, विकास योजनाओं को तैयार करने और निगरानी करने के अलावा, विकास परिव्यय के लिए आवश्यक संसाधनों के वांछनीय हस्तांतरण के संबंध में सरकार को सलाह देता है। योजना एवं विकास विभाग हर साल संसाधनों की समग्र स्थिति और वार्षिक योजना पर विचार करते समय उनके अनुप्रयोग की वार्षिक जांच के माध्यम से राज्यों के बजट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वित्त विभाग द्वारा सूचित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्र/योजना–वार सीमा निर्धारित करता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने राज्य योजना व्यय अनुमानों को अंतिम रूप देने के दौरान सभी विभागों को इन सीमाओं का पालन करना होता है।

संबंधित विभाग (लाइन डिपार्टमेंट)

वित्तीय मामलों में, प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित राजस्व के संग्रह और व्यय के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी प्राप्ति और वितरण आमतौर पर विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न व्यक्तियों/प्राधिकरणों के माध्यम से प्रभावित होते हैं। विभागों के अंतर्गत स्थापित सार्वजनिक उद्यमों पर विभाग वित्तीय नियंत्रण भी रखते हैं।

बजट नियंत्रण अधिकारियों को संबंधित विभाग को दिए गए बजट आवंटन के विरुद्ध व्यय को नियंत्रित करने और/या विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राजस्व संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बीसीओ बजट

चक्र के सभी चरणों में अनुमान तैयार करने से लेकर महालेखाकार के साथ खातों के मिलान तक संबंधित विभाग, वित्त विभाग, महालेखाकार और संवितरण अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

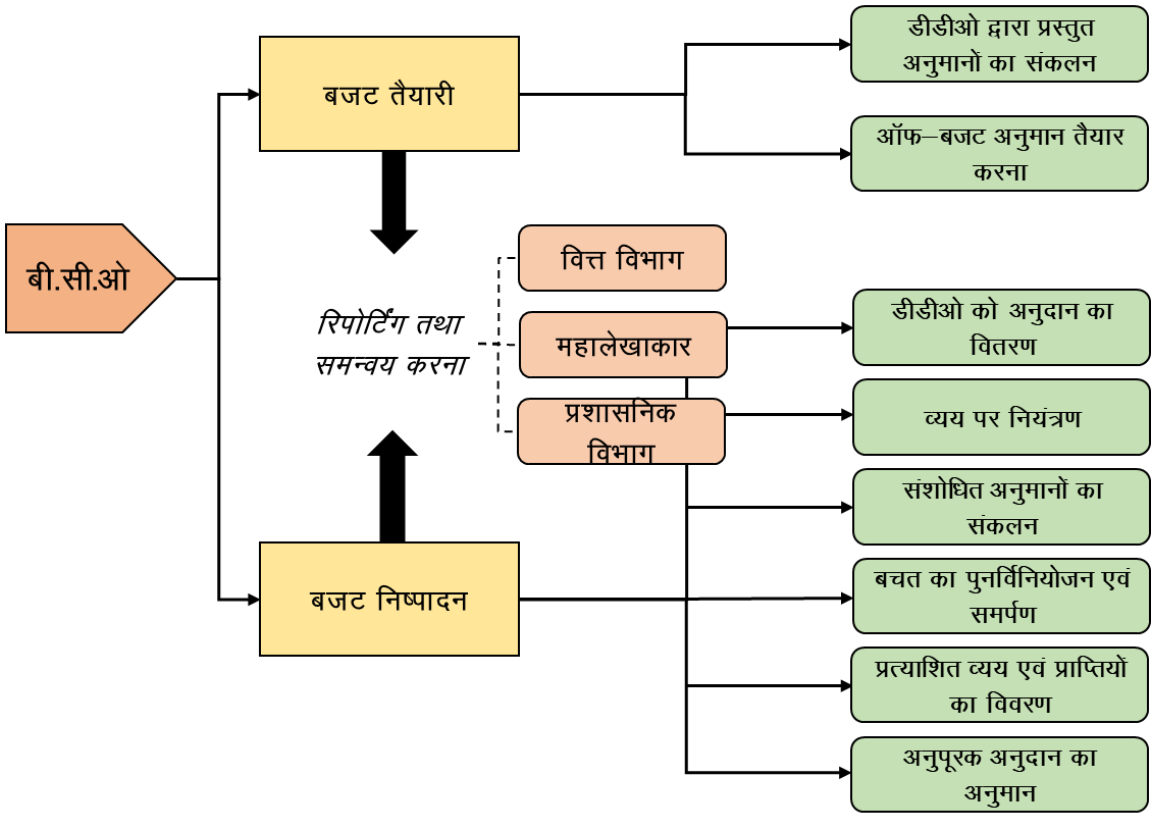

चित्र 2- बजट चक्र के दौरान बीसीओ द्वारा की गई गतिविधियाँ

आहरण एवं संवितरण अधिकारी एक सरकारी कर्मचारी होता है जो बिलों का आहरण करता है, निर्दिष्ट सीमा तक व्यय करता है और सरकार की ओर से भुगतान करता है। डीडीओ के रूप में नियुक्त सभी अधिकारी उस विभाग के आकलन अधिकारी भी होते हैं। आकलन अधिकारी के रूप में वे आवश्यक संसाधनों के निचले स्तर के आकलन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जबकि डीडीओ के रूप में वे वर्तमान में राज्य में चल रही योजना और गैर–योजना योजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। अपनी दोहरी भूमिका को देखते हुए, डीडीओ यह सुनिश्चित करके सरकार और लाभार्थियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं कि फंड की आवश्यकताएं तैयार किए गए अनुमानों में उचित रूप से प्रतिबिंबित होती हैं और अंततः स्वीकृत धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाता है और साथ ही उसका उचित हिसाब लगाया जाता है।

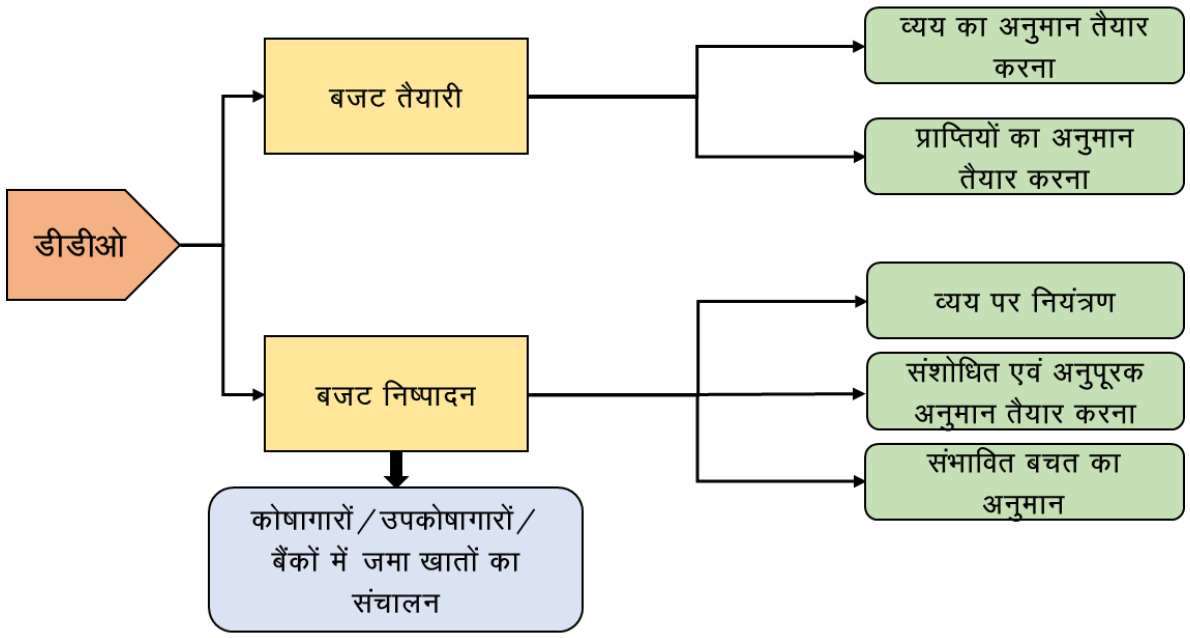

चित्र 3- बजट चक्र के दौरान डीडीओ द्वारा की गई गतिविधियाँ

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकार के खातों को संकलित करने के लिए जिम्मेदार हैं। कोषागारों, कार्यालयों या विभागों द्वारा उनके नियंत्रण में लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालयों को प्रदान किए गए प्रारंभिक और सहायक खातों की जिम्मेवारी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विनियोग खाते तैयार करता है, जिसमें संबंधित प्रमुखों के अंतर्गत वार्षिक प्राप्तियाँ और संवितरण को दर्शाया जाता है और इसे राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। इन खातों और रिपोर्ट्स को फिर विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित एजेंसी बैंकों के माध्यम से किए जाते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और अधिशेष निधि का निवेश करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकार को अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांस) और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं भी देता है।

[3.2] वित्तीय लेखांकन

[3.2.1] बजट की मूल संरचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत, राज्यों के खातों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाना है। बजट की सामान्य संरचना इन खातों की संरचना का बारीकी से अनुसरण करती है। राज्य सरकार के खाते तीन भागों में रखे जाते हैं:

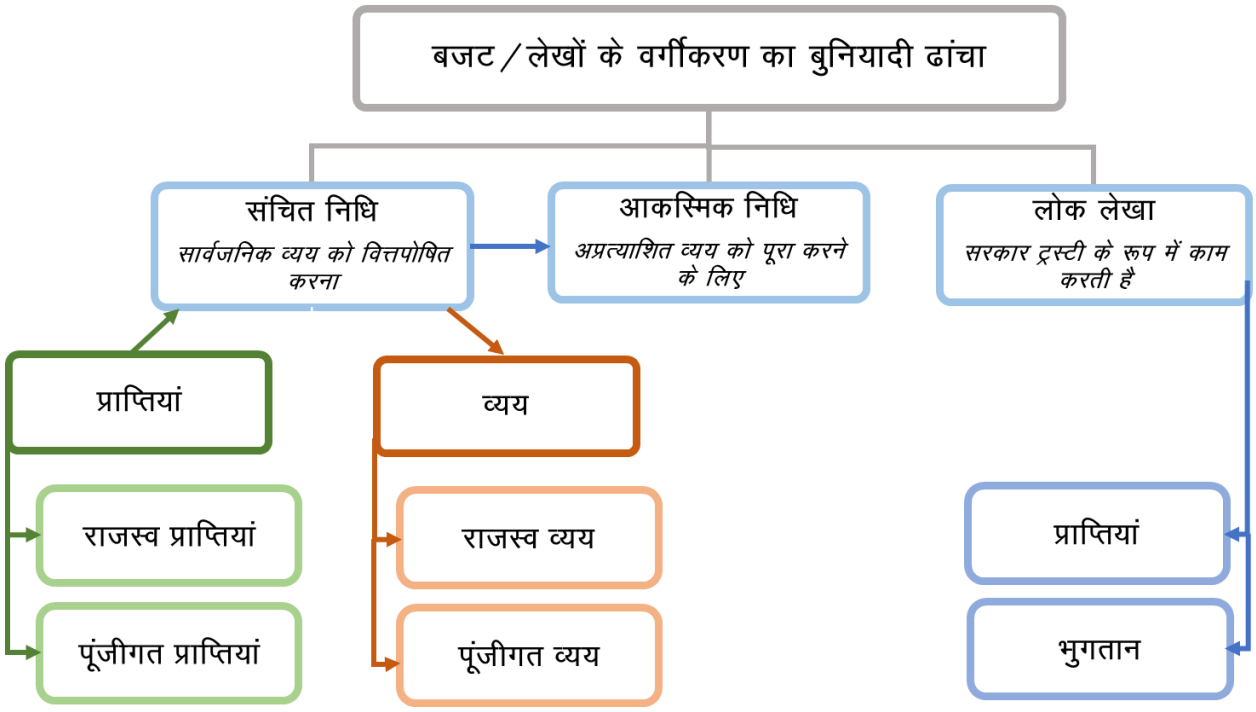

चित्र 4- बजट/लेखों के वर्गीकरण का बुनियादी ढांचा

1. **राज्य की संचित निधि**

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल हैं। राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना इस निधि से कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है।

समेकित निधि के निम्नलिखित दो विभाग हैं–

i. राजस्व लेखा

ii. पूंजीगत लेखा

2. **राज्य की आकस्मिकता निधि** (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय की प्रकृति में है जिसे राज्य विधानमंडल में कानून द्वारा स्थापित किया जाता है और इसे राज्यपाल के निपटान में रखा जाता है ताकि अप्रत्याषित व्यय के लिए अग्रिम जारी किए जा सकें। आकस्मिकता निधि के लेन–देन का हिसाब बजट दस्तावेज में प्रभागवार नहीं किया जाता है।

3. **राज्य के लोक लेखा** (संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा में लघु बचत और भविष्य निधि, जमा, अग्रिम, आरक्षित निधि और प्रेषण जैसे पुनर्भुगतान शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकदी शेष भी लोक खाते

के अंतर्गत शामिल है। लोक लेखा से कोई भी पैसा निकालने के लिए किसी विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

[3.2.2] राज्य सरकार के संसाधन

राज्य के संसाधनों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर–कर राजस्व शामिल होता है। केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से सहायता अनुदान।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजी प्राप्तियां शामिल होती हैं जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।
3. **शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां**: कुछ लेनदेन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि के संबंध में प्राप्तियां और संवितरण हैं जो संचित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित सार्वजनिक खाते में रखा जाता है और ये राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। यहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है।

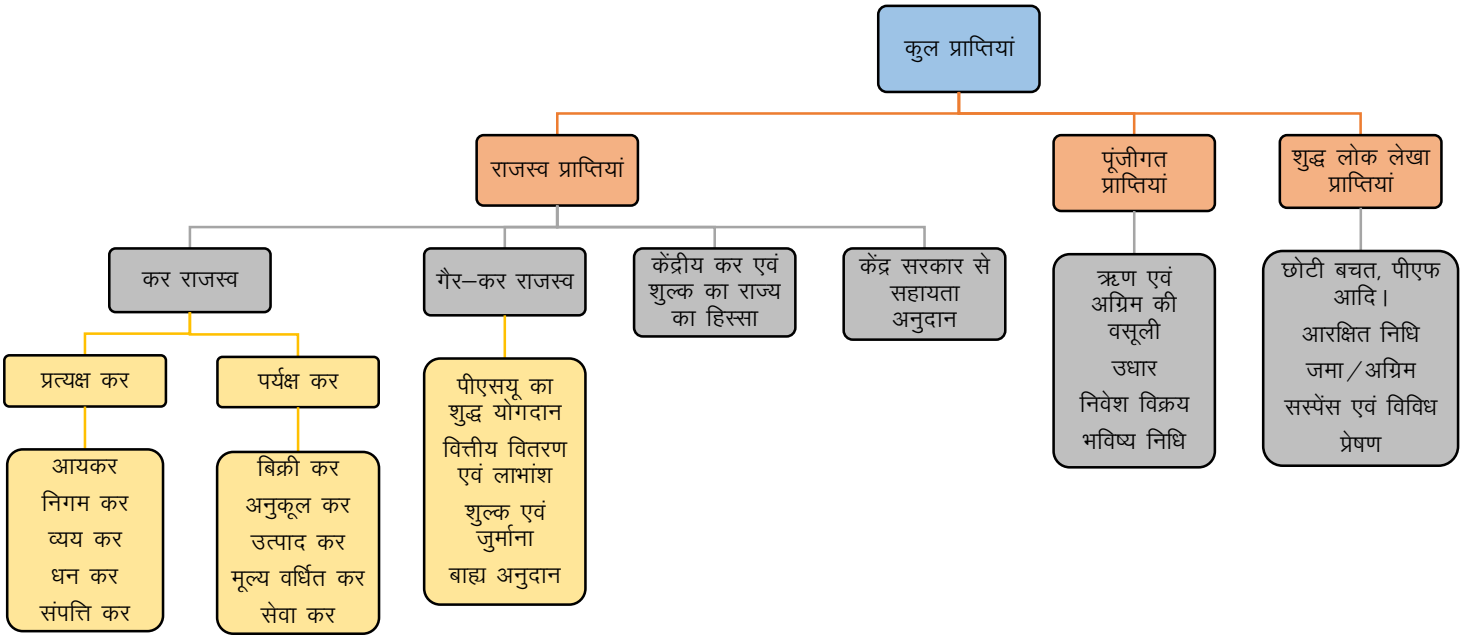

चित्र 5- राज्य सरकार की प्राप्तियाँ

तालिका 1- राजस्व प्राप्तियाँ (राज्य सरकार का परिवहन विभाग)

क्र.सं.	बजट कोड	विवरण
1	R0041001010002-00-01	स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्राप्तियां
2	R0041001010004-00-03	फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने से शुल्क
3	R0041001010005-00-03	ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और ड्राइविंग स्कूलों के लिए शुल्क लिया जाएगा

[3.2.3] संसाधनों का व्यय

राज्य सरकार को राजकोषीय जिम्मेदारी कानूनों के ढांचे के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करती है कि राज्य की चल रहा राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया उस खर्च पर नहीं हो, जो पूंजीगत बुनियादी संरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में निर्देशित हो।

राजस्व व्यय सरकारी व्ययों में शामिल होता है जो भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण में नहीं परिणत होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यान्वयन के लिए उठाए गए खर्चों, सरकार द्वारा लिये गए ऋणों पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों से (हालांकि कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो सकते हैं) संबंधित होता है।

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी ढांचा संपत्तियों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। राज्य में पूंजीगत व्यय को बजटीय सहायता और अतिरिक्त–बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

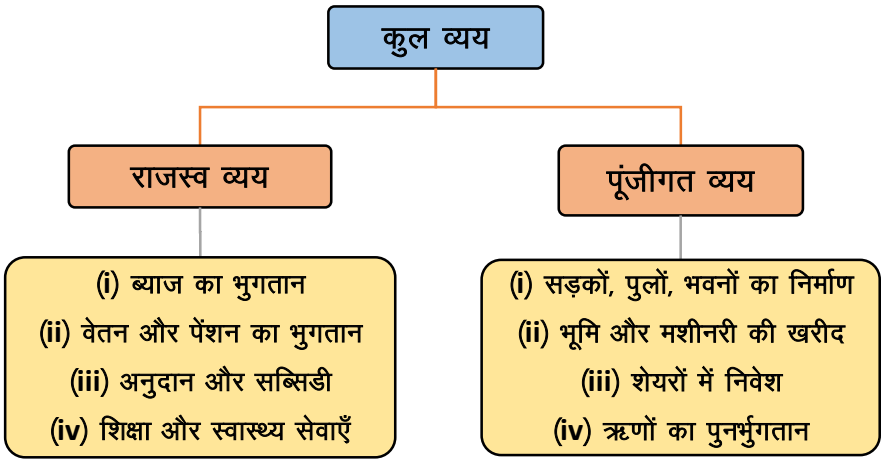

चित्र 6- राज्य सरकार का व्यय

[3.2.4] योजना व्यय

वर्तमान में विभिन्न विभागों के अंतर्गत तीन प्रकार की योजनाएं हैं– राज्य योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित योजनाएं (सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजनाएं – सीएसएस)।

राज्य योजनाएं

ये योजनाएं उन क्षेत्रों से संबंधित होती हैं जो राज्य सूची में होती हैं, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त प्रदान किया जाता है, जैसे *'हर घर नल का जल'*।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

ये योजनाएं उन क्षेत्रों से संबंधित हैं जो संघ सूची के अंतर्गत हैं, और इन्हें पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस प्रकार की योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि या तो ट्रेजरी नोड या नामित कार्यान्वयन एजेंसी मोड हो सकती है।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)

ये योजनाएं उन योजनाओं को संदर्भित करती हैं जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा सहमत फंडिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है। इन योजनाओं को आम तौर पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा डिजाइन और मॉनिटर किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार के विभाग क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में, अधिकांश सीएसएस *प्रधानमंत्री आवास योजना* की तरह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के फंडिंग पैटर्न का पालन करते हैं।

[3.3] वित्तीय बजटिंग

[3.3.1] बजट चक्र

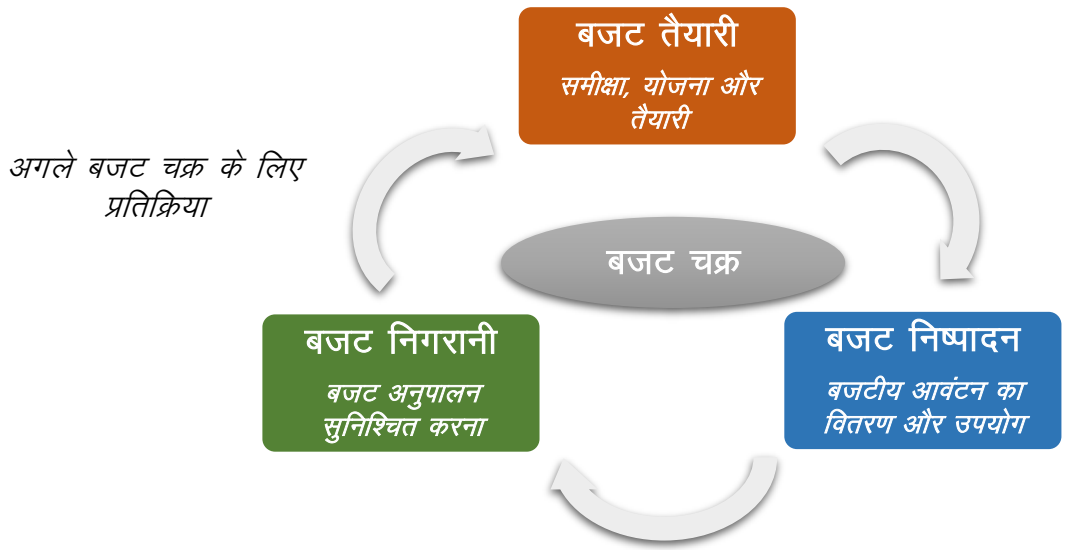

चित्र 7- बजट चक्र

बजट चक्र को तीन व्यापक चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

I. बजट तैयारी

इस चरण में व्यय के किफायती स्तर का अनुमान लगाया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि वांछित परिणामों को प्राप्त करने के प्रयास में धन कैसे खर्च किया जाना है और आउटपुट कैसे वितरित किए जाने हैं।

II. बजट निष्पादन

- राज्य विभागों द्वारा प्रस्तुत पुनर्विनियोजन के अनुरोधों का अनुमोदन और अनुदान
- अनुपूरक बजट का समेकन एवं निर्गमन

III. बजट निगरानी

इस चरण में नियोजित लेन–देन के साथ वास्तविक बजट लेन–देन का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल होता है। बजट प्रक्रिया/दस्तावेज सीएजी द्वारा आयोजित बाह्य ऑडिट के अधीन हैं। ऑडिट प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा सेवाओं की डिलीवरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ की गई है और पूरे बजट चक्र के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

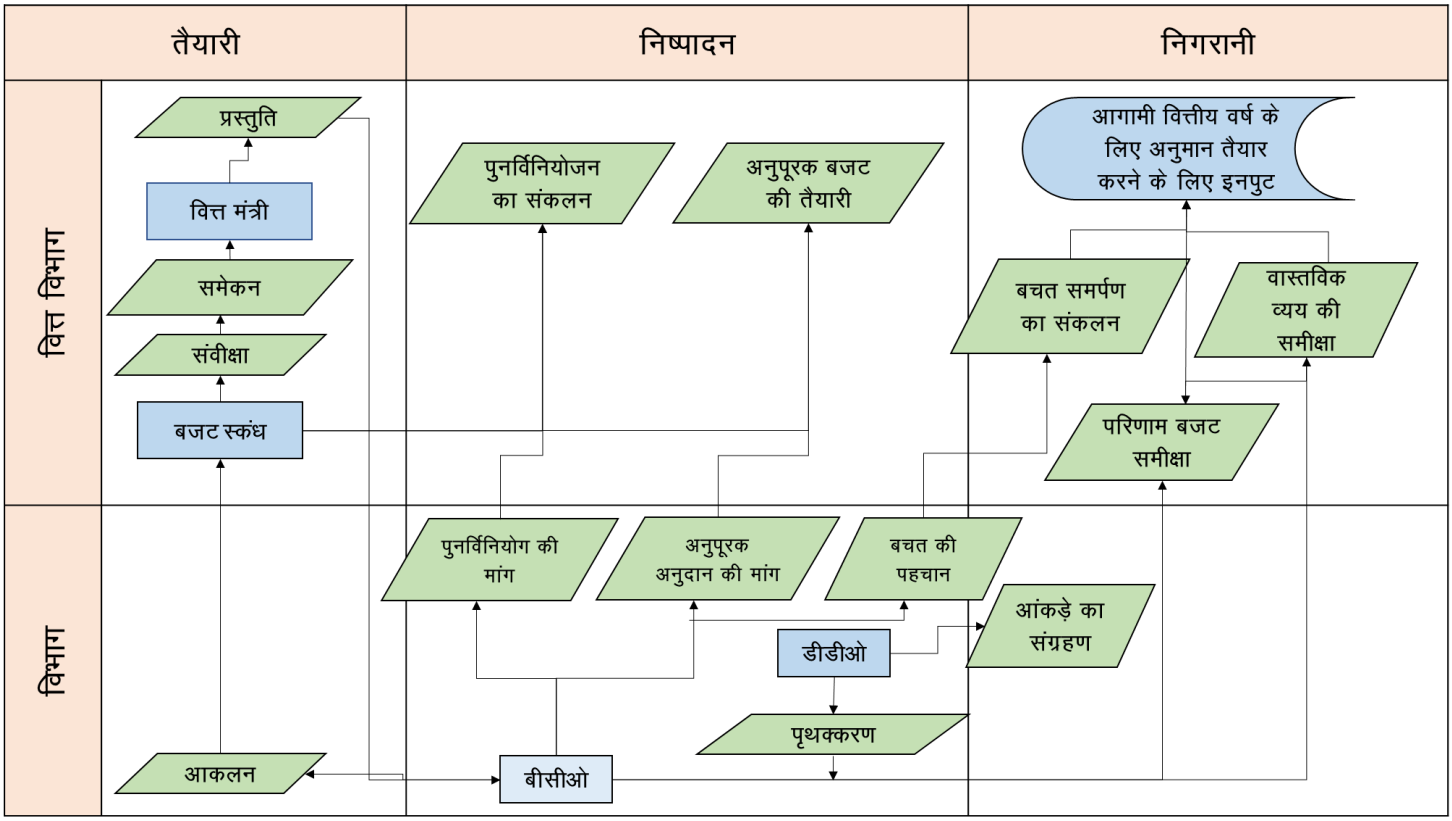

चित्र 8- बजट चक्र की गतिविधि फ़्लोचार्ट

[3.3.2] बजट कैलेंडर

जुलाई से अगस्त	विधान सभा कार्यक्रम के आधार पर व्यय का प्रथम अनुपूरक विवरण (प्रथम अनुपूरक से संबंधित विनियोग अधिनियम सभी नियंत्रण अधिकारी/विभाग और महालेखाकार को भेजा जाता है)
सितंबर का पहला सप्ताह	वित्त विभाग द्वारा नियंत्रण अधिकारी को बजट परिपत्र जारी करना एवं रिक्त बजट प्रपत्रों का वितरण
अक्टूबर से नवंबर	विधान सभा कार्यक्रम के आधार पर व्यय का प्रथम अनुपूरक विवरण (प्रथम अनुपूरक से संबंधित विनियोग अधिनियम सभी नियंत्रण अधिकारी/विभाग और महालेखाकार को भेजा जाता है)
नवंबर से दिसंबर	वित्त विभाग में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान पर संबंधित विभाग से चर्चा
नवंबर से जनवरी	विधान सभा कार्यक्रम के आधार पर द्वितीय अनुपूरक विवरण (द्वितीय अनुपूरक से संबंधित विनियोग अधिनियम सभी नियंत्रण अधिकारी/विभाग एवं महालेखाकार को भेजा जाता है)
फरवरी से मार्च	नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बचत का वित्त विभाग को समर्पण
फरवरी से मार्च	विधान सभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण और अन्य बजट पुस्तिकाओं तथा तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण की प्रस्तुति (मुख्य बजट और तृतीय अनुपूरक विवरण से संबंधित विनियोग विधेयक सभी नियंत्रण अधिकारी/ विभाग और महालेखाकार को भेजा जाता है)
फरवरी से अप्रैल	विभाग द्वारा सभी विभागों एवं महालेखाकार को बजट पुस्तकों का वितरण

[3.3.3] वर्गीकरण प्रणाली

समेकित निधि और लोक खातों में प्रत्येक प्रभाग को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें कुछ मामलों में उप–क्षेत्रों में और फिर लेखांकन वर्गीकरण के छह स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। अनुदानों की विस्तृत मांगों में वर्गीकरणों की संख्या को नीचे दर्शाए गए मानक छह स्तरों से आगे जाने की अनुमति नहीं है–

1. मुख्य शीर्ष – चार अंक (कार्य)

प्रत्येक सेक्टर/उप–सेक्टर के अंतर्गत मुख्य शीर्ष निर्धारित हैं। मुख्य शीर्ष मोटे तौर पर, प्रत्येक क्षेत्र/उप–क्षेत्र के भीतर, सरकार के एक विशिष्ट कार्य को दर्शाते हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास आदि।

2. उप–मुख्य शीर्ष– दो अंक (उप–कार्य)

मुख्य शीर्षों को उप–मुख्य शीर्षों में विभाजित किया जाता है। लेन–देन को रिकार्ड करने के लिए प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उप–मुख्य शीर्ष खोले जाते हैं जो एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं और अलग से दर्ज किए जाने का पर्याप्त महत्व होते हैं। साथ ही मुख्य शीर्ष के कार्यों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, मुख्य शीर्ष 'शिक्षा' के अंतर्गत उप–प्रमुख शीर्ष प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा आदि हैं।

3. लघु शीर्ष– तीन अंक (कार्यक्रम)

उप–मुख्य शीर्षों को लघु शीर्षों में विभाजित किया गया है। लघु शीर्ष किसी विभाग में किए गए कार्यक्रमों या कार्यक्रमों के व्यापक समूहों के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, उप–मुख्य शीर्ष प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत, लघु शीर्ष निर्देशन और प्रशासन, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, निरीक्षण आदि हैं।

4. उप–शीर्ष– चार अंक (योजना)

उप–शीर्ष समूह उप–शीर्षों के अंतर्गत आते हैं जो लघु शीर्षों द्वारा दर्शाए गए कार्यक्रम के तहत शुरू की गई योजनाओं को दर्शाते हैं। गैर–योजना व्यय के मामले में, उप–शीर्ष विभाग के प्रशासनिक ढांचे का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, लघु शीर्ष, अस्पताल एवं औषधालय के अंतर्गत जिला मुख्यालय अस्पताल एक उप–शीर्ष है।

5. वस्तु शीर्ष– दो अंक (उप–योजना)

उप–शीर्षों को आगे वस्तु शीर्षों में विभाजित किया गया है। वस्तु शीर्ष व्यय की विशिष्ट वस्तुओं जैसे वेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि को दर्शाते हैं।

6. विस्तृत शीर्ष– दो अंक

वस्तु शीर्षों को आगे विस्तृत शीर्षों में विभाजित किया गया है, जो खातों के वर्गीकरण की सबसे निचली इकाइयाँ हैं। वे व्यय नियंत्रण और निगरानी के प्रयोजन के लिए, जहां भी आवश्यक हो, विस्तृत लेखा शीर्षों का विवरण दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए वेतन व्यय को वेतन, भत्ते, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश का नकदीकरण और यात्रा रियायत में विभाजित किया गया है।

कोडिंग पैटर्न

बजट का प्रावधान 19– अंकों के बिल कोड में किया जाता है, जिसकी संरचना नीचे दी गई तालिका से समझा जा सकता है। सीएफएमएस लागू होने के बाद प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित बजट मद के साथ संबंधित मांग संख्या को जोड़ा गया है। बिल कोड की संरचना अब इस प्रकार है:

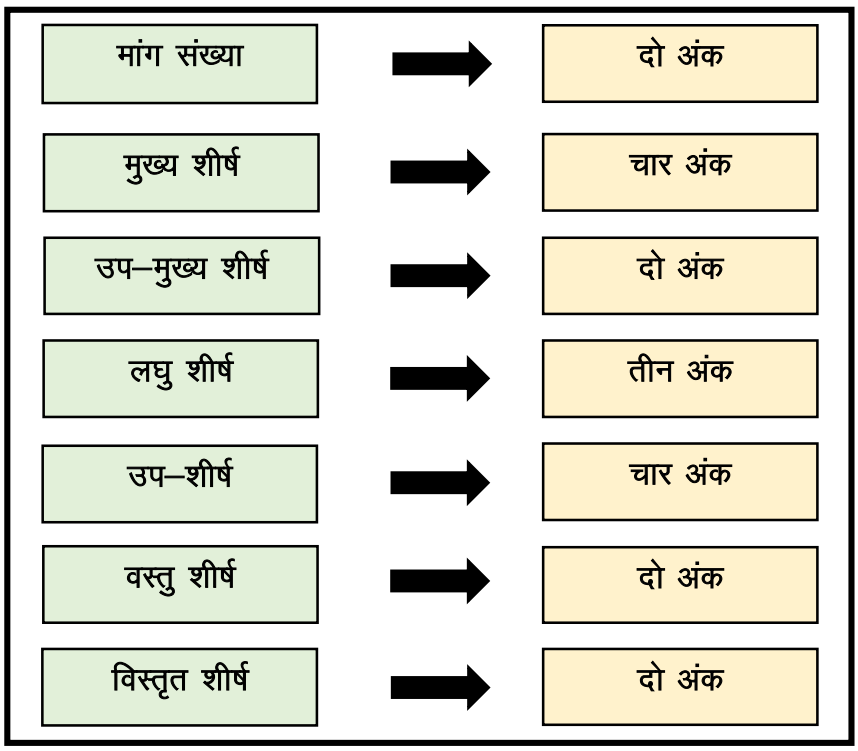

कोडिंग पैटर्न का उदाहरण

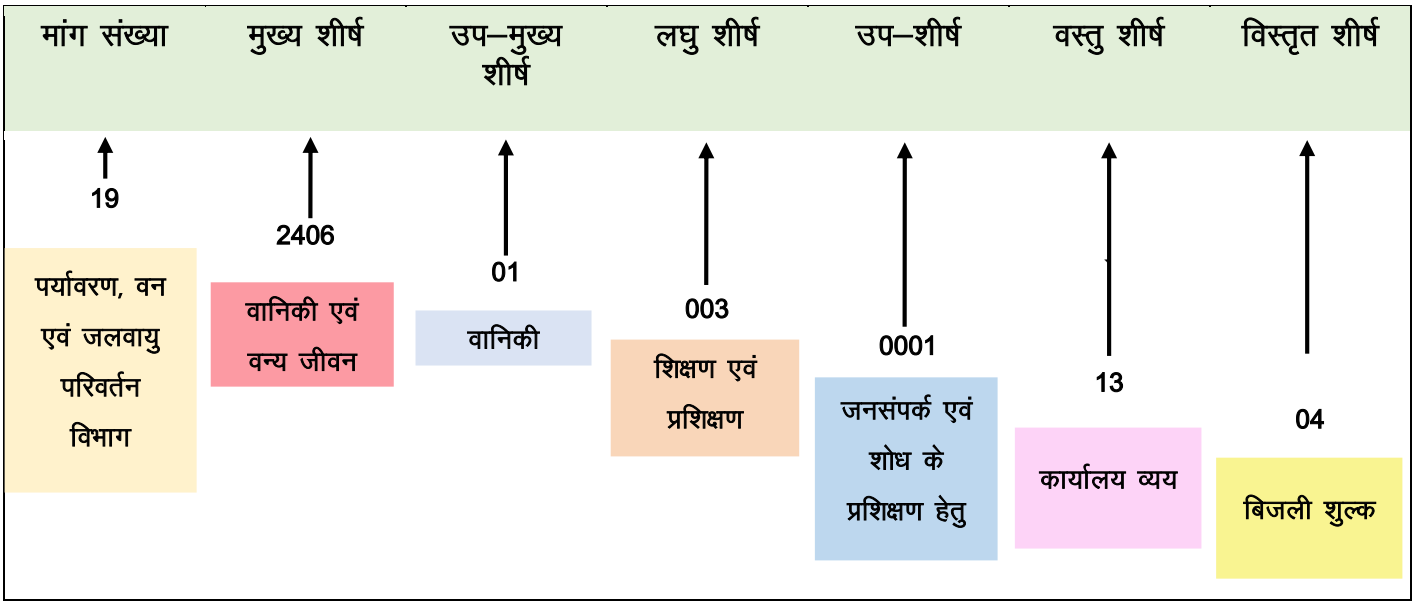

मुख्य शीर्ष: बजट राजस्व और पूंजीगत खाते दोनों पर प्राप्ति और व्यय शीर्षों के लिए तैयार किया जाता है, जिसके लिए मुख्य शीर्ष का कोड निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाता है:

क्र.सं	वर्गीकरण शीर्ष	4–अंकीय मुख्य शीर्ष कोड का पहला अंक
1	राजस्व प्राप्ति	0 या 1
2	राजस्व व्यय	2 या 3
3	पूंजीगत प्राप्ति	4000
4	पूंजीगत परिव्यय	4 या 5
5	लोक ऋण	6001-6005
6	ऋण एवं अग्रिम	6075-7810
7	आकस्मिकता निधि	8000
8	लोक लेखा	8001-8999

उप–शीर्ष: वित्तीय वर्ष 2017–18 से गैर–योजनागत मदों को एकीकृत करते हुए बजट को मुख्य रूप से छह खंडों में विभाजित किया गया, जिन्हें 4–अंकीय उप–शीर्ष के पहले दो अंकों के आधार पर निम्नानुसार पहचाना जा सकता है:

क्र.सं	वर्गीकरण शीर्ष	4–अंकीय उप–शीर्ष कोड का पहला 2 अंक
1	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	00 (0001,0020 के रूप में)
2	राज्य–योजना	01 (0101,0123 के रूप में)
3	केंद्र प्रायोजित योजना का केंद्रीय हिस्सा	02 (0201,0218 के रूप में)
4	केन्द्र प्रायोजित योजना में राज्य का हिस्सा	03 (0301,0318 के रूप में)
5	केंद्रीय क्षेत्र योजना	04 (0401,0421 के रूप में)
6	बाह्य प्रायोजित योजना में राज्य एवं केन्द्र का हिस्सा	05 (0501,0511 के रूप में)

अध्याय– 4

मुद्दा–आधारित बजटिंग

मुद्दा–आधारित बजटिंग को क्रॉस–कटिंग और क्रॉस–सेक्टोरल परियोजनाओं में विशिष्ट मुद्दों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक नीतिगत नवाचार के रूप में देखा जाता है। मुद्दा–आधारित बजटिंग के विषयों को तीन विषयों में विभाजित किया जा सकता हैः हरित बजटिंग की रूपरेखा, जेन्डर बजटिंग और बाल बजटिंग।

[4.1] हरित बजटिंग की रूपरेखा

लोक व्यय और राजस्व जुटाने के साधन पर्यावरण पर लाभकारी और हानिकारक दोनों तरह से भारी प्रभाव डाल सकते हैं। यह पर्यावरण के नियामक तंत्रों के अलावा होता है, जैसे कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआइए) मूल्यांकन प्रक्रिया, जिसमें परियोजनाओं, कार्यक्रमों, और नीतियों के पर्यावरणीय प्रभावों की पूर्व पहचान की जाती है, और पर्यावरण मानकों की मॉनिटरिंग और प्रवर्तन किया जाता है। हालांकि पर्यावरण विनियमन पर्यावरण मंत्रालयों की प्रमुख जिम्मेदारी है, परंतु बजटीय प्रक्रिया में उनकी बहुत कम सुनी जाती है क्योंकि उनके लिए बजटीय आवंटन कम होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता पहलों को मुख्यधारा में लाया जाए। साहित्य विचारों का एक बढ़ता हुआ समूह 'हरित बजटिंग' को मुख्यधारा के उपकरण के रूप में देखता है (बोवा 2021, जीओबी 2021, पेट्री 2021, पीएससीएसटी–टीईआरआइ 2014, रसेल और बेन्सन 2014, टीईआरआइ 2020, विल्किंसन एट अल 2008)। हरित बजटिंग के लिए ओईसीडी फ्रेमवर्क चार प्रमुख "बिल्डिंग ब्लॉक्स" को सूचीबद्ध करता हैः रणनीतिक और राजकोषीय योजना, बजट उपकरण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता और बजटीय वातावरण को सक्षम बनाना। ताकि यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सके कि बड़ी बजट प्रक्रिया कायम रहे और मध्यम एवं लंबी अवधि में प्रभावी रहे। TERI ने भारत में पंजाब और बिहार राज्यों में हरित बजटिंग के बारे में संवाद की सुविधा प्रदान की है। जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रियों का गठबंधन फिनलैंड और चिली के नेतृत्व में और विश्व बैंक के जलवायु कार्रवाई पीयर एक्सचेंज (सीएपीई) के समर्थन से दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। इसके संस्थापक सिद्धांतों (हेलसिंकी सिद्धांत) के सिद्धांत 4 में 'वृहद आर्थिक नीति, राजकोषीय योजना, बजट, सार्वजनिक निवेश प्रबंधन और खरीद प्रथाओं में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखना' आवश्यक है। लोक व्यय और वित्तीय जवाबदेही सचिवालय (पीईएफए) ने हाल ही में जलवायु–संबंधित लोक वित्तीय प्रबंधन के मूल्यांकन के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है। इसका उद्देश्य उन देशों और प्रशासनों को एक नैदानिक उपकरण प्रदान करना है जो अपने लोक वित्त को अधिक जलवायु उत्तरदायी (पीईएफए 2020) बनाना चाहते हैं। हालांकि, पीईएफए के विपरीत हरित बजटिंग एक उपकरण योजना है और पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संबंधी कार्रवाई और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्राथमिकताएं निर्धारित करना है। भारत में अब तक बिहार एकमात्र राज्य है जिसने हरित बजट (जीओबी 2021, 2022) तैयार किया है।

[4.2] जेन्डर बजटिंग

जेन्डर बजटिंग को जेन्डर को मुख्यधारा में लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास गतिविधियों का लाभ महिलाओं तक पहुंचे जिसके लिए वह बजट आवंटन किया गया है। यह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और कार्यान्वयन के लिए लागू करने योग्य कानूनों और विनियमों से अलग है जो सरकार के कई मंत्रालयों और अन्य शाखाओं के अधिकार क्षेत्र में हैं। नीति कार्यान्वयन और अभ्यास के संदर्भ में एशिया और यूरोप में जेन्डर बजटिंग में कई प्रगति हुई है और इसे साहित्य में अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है (चक्रवर्ती 2016, झांब एट अल 2013, लाहिड़ी एट अल 2002, ओ–हेगन 2018, ओ–हेगन और क्लैत्जर 2018, क्विन 2016)। भारत में 2005–06 से वित्त मंत्रालय का व्यय प्रभाग हर साल बजट परिपत्र के एक भाग के रूप में जेन्डर बजटिंग पर एक नोट जारी कर रहा है। केंद्रीय बजट में स्टेटमेंट 13 'जेन्डर बजट' (एमओएफ 2022) पर है। इस जेन्डर बजट स्टेटमेंट में दो भाग शामिल हैं– भाग क और भाग ख। भाग क, महिला विशिष्ट योजनाओं को दर्शाता है, जिनमें महिलाओं के लिए 100% आवंटन होता है, जबकि भाग ख, महिला समर्थक योजनाओं को दर्शाता है, जिनमें कम से कम 30% आवंटन महिलाओं के लिए होता है। भारत में जेन्डर बजटिंग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि उप–राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचलित है। तो क्या जेन्डर बजटिंग वास्तविक प्रभाव पैदा कर रही है? भारत में जेन्डर बजटिंग पर एक अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि जेन्डर बजटिंग के परिणामस्वरूप भारत में बजट प्रक्रियाओं में जेन्डर को मुख्यधारा में लाया गया है। यहां तक कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जैसे मंत्रालय भी जिनकी गतिविधियां प्रथम दृष्टया बहुत कम प्रतिकूल प्रतीत हो सकती हैं, परंतु लैंगिक प्रभावों ने महिलाओं के विकास के संदर्भ में लैंगिक समानता में योगदान देने की पहल विकसित की है (चक्रवर्ती 2016)। जेन्डर बजटिंग पर साहित्य की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा इस बात पर प्रकाश डालती है कि अधिकांश अध्ययन जेन्डर बजटिंग के पूर्व के चरणों को देखते हैं, जबकि समवर्ती और पूर्व–पश्चात चरणों (पोल्जर, नोल्टे, और सीवाल्ड, 2021) के बारे में कम जानकारी है।

[4.3] बाल बजटिंग

मुद्दा–आधारित मुख्यधारा के उपकरणों की तरह 'बाल बजटिंग' सरकार के बजट को अलग–अलग करने का एक प्रयास है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि सरकार बच्चों की जरूरतों को पूरा करने पर कितना खर्च करना चाहती है (या कितना खर्च कर चुकी है)। बाल बजटिंग का औचित्य इस कारण पर आधारित है कि बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए व्यय बढ़ाना महत्वपूर्ण है (सीबीजीए–यूनिसेफ अदिनांकित)। इस बात के प्रमाण हैं कि दुनिया भर में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों द्वारा बाल बजटिंग को अमल में लाया गया है (जैकब 2020, मैथ्यू 2007, मुचाबैवा 2010)। भारत में बाल बजटिंग का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्व–मूल्यांकन के लिए एक रणनीतिक योजना उपकरण के रूप में किया जाता है (मैथ्यू 2007)। ओडिशा और बिहार (जीओबी 2019, जीओओ 2020) जैसे राज्यों में राज्य स्तर पर बाल बजटिंग पर कार्य किया जाता है। केंद्रीय बजट में स्टेटमेंट 12

'बच्चों के कल्याण के लिए आवंटन' (एमओएफ 2022) पर है। बाल बजटिंग को एक सार्वजनिक वित्त प्रबंधन रणनीति के रूप में देखा जाता है, जो बच्चों के अधिकारों और जरूरतों के प्रति सरकारी बजट की जवाबदेही का विश्लेषण और समर्थन करती है।

[4.4] अंतराल

हालांकि मुद्दा–आधारित बजटिंग पर पर्याप्त प्रकाशन मौजूद हैं लेकिन हरित बजटिंग का चलन जेन्डर बजटिंग और बाल बजटिंग जितना प्रचलित नहीं है। ज्यादातर मामलों में हरित बजटिंग अभी भी एक वैचारिक चरण में है या बजट के बाद के अभ्यास के रूप में अधिक प्रचलित है।

अध्याय– 5

हरित बजटिंग की प्रक्रिया और प्रविधि

[5.1] औचित्य

हालांकि पर्यावरण विनियमन पर्यावरण मंत्रालयों की प्रमुख जिम्मेदारी है, परंतु बजटीय प्रक्रिया में उनकी बहुत कम सुनी जाती है क्योंकि उनके लिए बजटीय आवंटन कम होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता पहलों को मुख्यधारा में लाया जाए। इस तरह के मुख्यधाराकरण से विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और कर्ता–धर्ता के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धताओं को आकार देने में मदद मिलेगी। चूंकि वार्षिक बजट प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों के विभाग शामिल होते हैं, वित्त विभाग पर्यावरणीय विभागों के साथ समन्वय करके हरित बजटिंग की प्रक्रिया का नेतृत्व कर सकता है और मौजूदा योजनाओं में पर्यावरणीय स्थिरता घटकों की पहचान करने के संदर्भ में विभिन्न विभागों से इनपुट भी मांग सकता है। पहले कदम के रूप में यह एक लेखांकन क्रियाकलाप की तरह होने की उम्मीद है जबकि सकल व्यय विवरण सालाना तैयार किया जा सकता है। आषा है कि इससे विभिन्न विभाग इस बात पर विचार करेंगे कि वे कहां खड़े हैं और कितना संसाधन आवंटित किया गया है। विषयों, विभिन्न गतिविधियों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की मैपिंग मौजूदा दृष्टिकोणों में अंतराल की पहचान करने में सक्षम होगी जिसमें वे घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और निजी स्रोतों से वित्त पोषण के अन्य स्रोतों की पहचान कर सकते हैं। दीर्घावधि में राज्य कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रभाव मूल्यांकन भी कर सकते हैं।

मोट तौर पर, हरित बजटिंग पर्यावरणीय स्थिरता पहल, उपलब्ध संसाधनों और वितरण सुधारों के लिए नीति–निर्माताओं और अन्य हितधारकों को गहरी अंतर्दृष्टि और संकेत प्रदान कर सकता है। राज्य के सामान्य बजट को हरित बजट के दृष्टिकोण से अधिक शाखावार विभाजित करना महत्वपूर्ण है ताकि पर्यावरण केंद्रित योजनाओं में लोक निधियों की व्यवस्था को मानचित्रित किया जा सके।

हरित बजटिंग प्रक्रिया पर्यावरण केंद्रित योजनाओं के लिए लोक धन प्रवाह की मानचित्रण को सक्षम कर सकती है

1. बजटों की पर्यावरणीय ध्यान को मूल्यांकन करके जागरूकता बढ़ाने, और पर्यावरण से संबंधित सार्वभौमिक सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु संबंधी कार्रवाई के संदर्भ में प्रगति पर सूचित वार्ता और चर्चा को समर्थन देना।
2. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रति उनकी सुसंगतता का आकलन करने और अंतराल की पहचान करने के लिए पर्यावरणीय दृष्टि *(जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं)* से योजनाओं और व्यय का मानचित्रण।
3. कार्यान्वयन में अंतराल का विश्लेषण करने के लिए पर्यावरण केंद्रित योजनाओं पर आवंटन और व्यय के समूहन पर ध्यान देना।

हरित बजटिंग प्रक्रिया एक आधिकारिक नीति उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है

1. पर्यावरणीय लक्ष्यों को बजट प्रक्रिया में शामिल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना, संसाधन आवंटन और समन्वय के माध्यम से इन पर उचित ध्यान दिया जाए।
2. व्यय, राजस्व और पर्यावरण नीति संरेखण का आकलन और प्रोत्साहित करना।
3. फोकस और गतिविधियों के संदर्भ में अंतराल की पहचान करने के लिए हस्तक्षेपों का गहन विश्लेषण करना।
4. अंतर–विभागीय तालमेल और समन्वय के अवसरों के क्षेत्रों की पहचान करके बजटीय प्रक्रिया में पर्यावरणीय लक्ष्यों को मुख्यधारा में लाना।

हरित बजटिंग प्रक्रिया सतत विकास के लिए नीति और बाजार सुसंगतता के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है

1. यदि अनुसंधान और विकास के लिए संसाधन उपलब्ध हों तो हरित बजट प्रक्रिया और उत्पाद नवाचारों को प्रोत्साहित कर सकता है।
2. टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देने के लिए बाजारों को संकेत दें और बाजारों में हरित उत्पादों को प्रोत्साहित करें।
3. नीतिगत सुसंगतता और बेहतर अंतर–अभिकरण/अंतर–विभागीय समन्वय प्रदान करना।

हरित बजटिंग पर्यावरण संबंधी सतत विकास लक्ष्यों में उनके योगदान के साथ–साथ बजट प्रक्रियाओं में मौजूदा और प्रस्तावित राजकोषीय और आर्थिक नीति उपायों की जांच और पहचान करने में व्यवस्थित रूप से सक्षम कर सकती है। इससे बजटीय और राजकोषीय नीतियों के पर्यावरणीय प्रभावों का साक्ष्य–आधारित मूल्यांकन संभव होता है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकारी कार्यों की सुसंगतता पर जानकारी से ओत–प्रोत चर्चा और बहस को सक्षम बनाया जा सकता है।

[5.2] परिभाषा

हरित बजटिंग एक बजटीय नीति निर्माण उपकरण है जो व्यवस्थित मानचित्रण और योजनाओं, परिव्यय और व्यय पर नजर रखने में मदद कर सकता है। यह बदले में हरित उद्देश्यों जैसे की जलवायु और पर्यावरणीय आयाम से संबंधित, को प्राप्त करने के लिए समन्वित नीति डिजाइन और आवधिक एवं निरंतर वित्त आवश्यकताओं की पहचान में सहयोग कर सकता है।

यह दृष्टिकोण बजट कार्यविधि को सतत विकास के एक प्रभावी समन्वय तंत्र में बदल सकता है ताकि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर विधिवत विचार किया जा सके। यह मौजूदा नीतियों को स्वयं नहीं बदलता

है, लेकिन यह निर्णयकर्ताओं को बजट विकल्पों के समग्र पर्यावरण और जलवायु प्रभावों की स्पष्ट समझ प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राजस्व जुटाने और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने के तरीके पर अधिक सूचित निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए व्यवस्थित और समन्वित तरीके से साक्ष्य एक साथ लाता है।

'हरित बजटिंग' एक उपकरण है जो बजटिंग में मौजूद उपायों की व्यवस्थित रूप से जांच, पहचान और मानचित्रण करने की संभावना प्रदान करता है, साथ ही उनके पर्यावरणीय (हरित) लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान को भी जानने में मदद करता है। राज्य सरकार के बजट के लिए हरित बजटिंग को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें,

''प्रत्येक वर्ष, सरकारी एजेंसियां (विभाग/ निदेशालय/ बोर्ड/ परिषद/ आयोग) हरित बजट तैयार करने, पर्यावरणीय स्थिरता घटकों से जुड़ी योजनाओं को निर्दिष्ट करने और राज्य के बजट में लोक व्यय की मात्रा का अनुमान लगाने में योगदान देती हैं।''

हरित बजटिंग का एक प्रतिरूप नीचे दिया गया है।

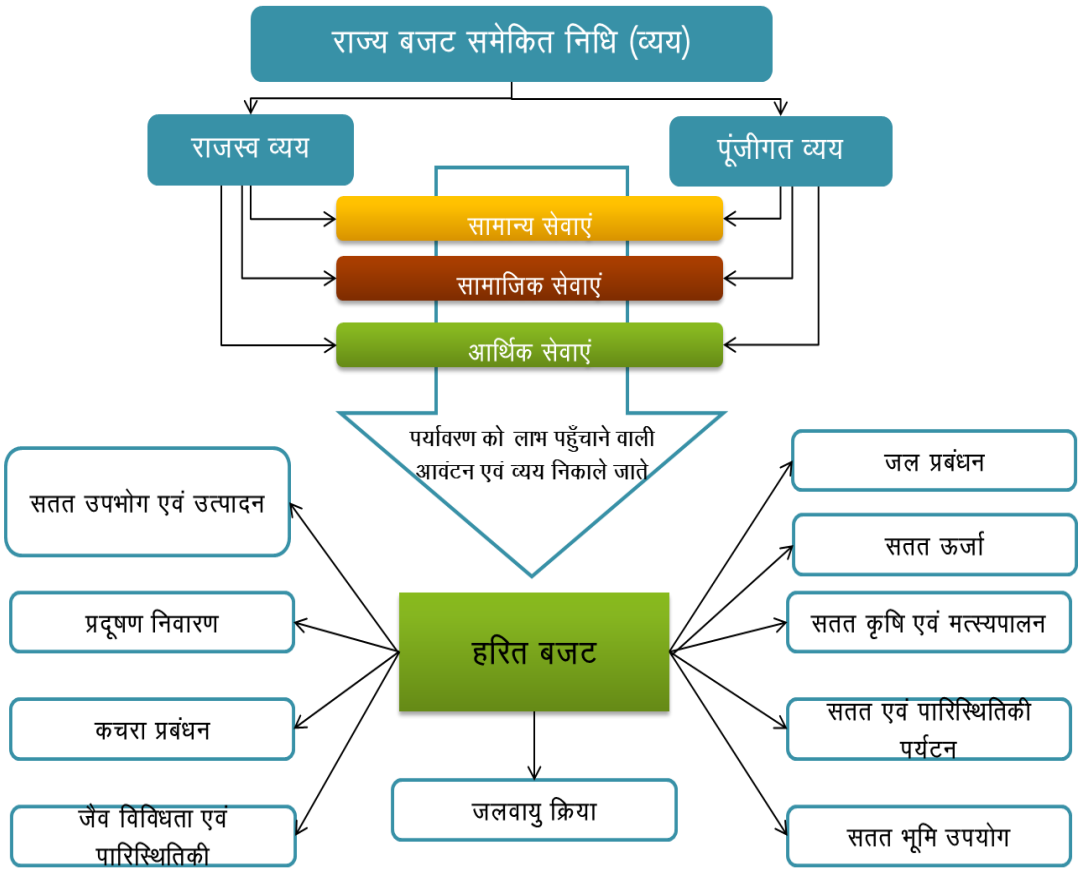

चित्र 9- हरित बजट रूपरेखा

[5.3] उद्देश्य

सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, और अन्य पर्यावरणीय क्षति के खतरों का सामना करने के लिए तत्काल कदम, स्पष्ट, संगठित, और व्यवस्थित योजना प्रणाली अत्यावश्यक हैं, जो संस्थानों और बजटों को मजबूत करते हैं। इस संदर्भ में ये सभी आवश्यक उपकरण हैं लेकिन कोई भी अपने आप में महत्वपूर्ण और स्थायी अंतर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए बजट निर्माण प्रक्रियाओं जैसी बहु–हितधारक व्यवस्था में पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में बातचीत के माध्यम से मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। हरित बजटिंग के चार उद्देश्य इस प्रकार हैं:

उद्देश्य 1: लघु और दीर्घावधि में पर्यावरणीय मुद्दों पर बेहतर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के लिए अंतर–विभागीय योजना प्रक्रियाओं को मजबूत करना।

उद्देश्य 2: जलवायु कार्रवाई और सतत विकास को मुख्यधारा में लाने के लिए विभागों/निकायों की क्षमताओं को मजबूत करके जागरूकता बढ़ाने और मौजूदा कार्यक्रमों में नवाचार करने के लिए नीतिगत सुसंगतता को बढ़ाना ताकि उप–राज्य, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके।

उद्देश्य 3: एक ऐसा ढांचा विकसित करना जो विभिन्न पर्यावरणीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और संसाधन आवंटन एवं एकत्रीकरण के माध्यम से सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाएगा।

उद्देश्य 4: दीर्घावधि में सतत विकास और जलवायु संबंधी कार्रवाई के उद्देश्य के प्रति पहल और बाजारों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए नीति संकेत भेजना।

इस उद्देश्य से, हरित बजटिंग में छह स्तंभों की परिकल्पना की गई है:

स्तंभ 1: पर्यावरणीय स्थिरता के लिए मुख्यधारा मे लाना
स्तंभ 2: पर्यावरणीय स्थिरता के लिए संसाधन आवंटन
स्तंभ 3: पर्यावरणीय स्थिरता के लिए योजना और समन्वय
स्तंभ 4: पर्यावरणीय स्थिरता के लिए मूल्यांकन और निगरानी
स्तंभ 5: पर्यावरणीय स्थिरता के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही
स्तंभ 6: हरित पहल के लिए नीति संकेत

[5.4] प्रक्रिया

हरित बजटिंग की प्रक्रिया भारत में जेंडर बजटिंग के अनुभव पर आधारित है। भारत में जेंडर और बाल–बजट जैसे कई मुद्दे–आधारित बजटिंग की प्रथा को ध्यान में रखते हुए, एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जो इन सभी मुद्दा–आधारित बजटिंग प्रचलनों को समेकित करने में मदद करेगा। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का उपयोग एक व्यापक ढांचे के रूप में किया जा सकता है जिसे समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को राज्य और राष्ट्रीय लक्ष्यों से पूरक और सम्पूरक के बतौर जोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार से निम्नलिखित चरणबद्ध विधि प्रस्तावित है। इस प्रचलन की परिकल्पना बॉटम–अप इनपुट (राज्य के विभागों से आने वाली जानकारी) पर भरोसा करने के लिए की गई है।

बिहार सरकार के वित्त विभाग विशेषज्ञ विभागों से डेटा संग्रह को सुविधाजनक बनाता है। हरित बजट का प्रारूप मुख्य बजट प्रारूप के साथ संलग्न होता है और सभी विभागों के आकलन अधिकारियों को मार्गदर्शिकाओं के साथ सूचित किया जाता है। अनुदान की विस्तृत मांगों (डीडीजी) की जानकारी का उपयोग पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की पहचान के लिए आधार के रूप में किया गया था। प्रत्येक योजना के दिशानिर्देशों को विस्तार से समीक्षा की गई थी ताकि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सीधे या परोक्ष रूप से उपयुक्त गतिविधियों या घटकों की पहचान की जा सके।

पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली योजना के रूप में एक योजना का चयन करने के बाद, हरित बजट प्रारूप में अनुमान लगाने वाले अधिकारियों को सुनिश्चित वर्ष के बजट अनुमान, चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान और पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार प्रत्येक योजना के लिए किए गए आवंटन को शामिल करने की आवश्यकता होती है। व्यय आंकड़ों की दोहरी–गणना से बचने और त्रुटियों को कम करने के लिए 'टैगिंग और ट्रैकिंग' पद्धति को अपनाया गया था। प्रत्येक योजना को एक विशेष कोड के माध्यम से संहिताबद्ध किया जाता है जो वर्षों तक स्थिर रहता है। सरकारी बजट दस्तावेज डीडीजी में विशिष्ट कोड वाली सभी योजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक योजना के लिए योजना की आसान ट्रैकिंग और व्यय के विभाग–वार विश्लेषण के लिए योजना कोड के साथ मुख्य शीर्ष, उप–मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष के लिए बजट कोड दर्ज किए जा सकते हैं। अंत में, हरित बजट दस्तावेज को सरकार द्वारा एक अलग दस्तावेज के रूप में विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

हरित बजट विवरण तैयार करने का मानक टेम्पलेट अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

चरण I	• हितधारकों के मानचित्रण, हरित बजट विवरण के लिए रेंज श्रेणियों और विषयों, गतिविधियों और लक्ष्यों के मानचित्रण के श्रेणियों सहित एक ढांचे पर आधारित इनपुट मांगने के लिए एक **दृष्टिकोण** और **कार्यप्रणाली** विकसित करना।
चरण II	• वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के साथ **परामर्श**, विभिन्न संबंधित विभागों की बैठक और पहचान प्रक्रिया को संचालित करना जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।
चरण III	• 'हरित बजटिंग' के लिए इनपुट मांगने के लिए प्रो–फॉर्मा को **परिष्कृत और अंतिम रूप** देना।
चरण IV	• बजट कोड, योजनाओं, वित्तीय आवंटन और हरित घटकों की पहचान के साथ–साथ हरित परिणामों को संबोधित करने में पहचानी गई योजनाओं से कैसे प्रभाव डालने की उम्मीद की जाती है, इसके वर्णनात्मक सारांश के संदर्भ में **विभिन्न विभागों द्वारा इनपुट।**
चरण V	• **इनपुट का संकलन** और हरित बजट दस्तावेज तैयार करना जिसमें रेंज श्रेणियों के आधार पर पहचानी गई गतिविधियों का **वर्गीकरण** और विषय, गतिविधियां और एसडीजी का **मानचित्रण** शामिल है।
चरण VI	• एक अलग दस्तावेज के रूप में सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष हरित बजट की प्रस्तुति।

चित्र 10- इस पहल में हरित बजटिंग के लिए चरणबद्ध विधि का उपयोग किया जाएगा

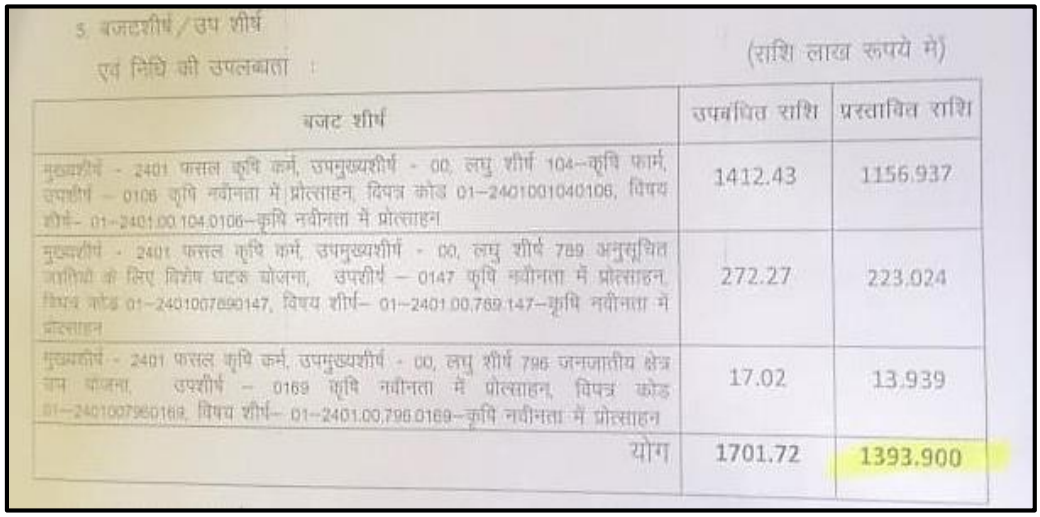

5. बजटशीर्ष/उप शीर्ष

एवं निधि की उपलब्धता :

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	प्रस्तावित राशि
मुख्यशीर्ष - 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्यशीर्ष - 00, लघु शीर्ष 104–कृषि फार्म, उपशीर्ष – 0106 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन, विपत्र कोड 01–24010010401O6, विषय शीर्ष– 01–2401.00.104.0106–कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	1412.43	1156.937
मुख्यशीर्ष - 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्यशीर्ष - 00, लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष – 0147 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन, विपत्र कोड 01–24010078900147, विषय शीर्ष– 01–2401.00.789.147–कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	272.27	223.024
मुख्यशीर्ष - 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्यशीर्ष - 00, लघु शीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष – 0169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन, विपत्र कोड 01–24010079600169, विषय शीर्ष– 01–2401.00.796.0169–कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	17.02	13.939
योग	1701.72	1393.900

चित्र 11- राज्य योजना का बजट शीर्ष (बिहार में जलवायु स्मार्ट कृषि)

मुख्य शीर्ष **2401 - फसल कृषि-कर्म**

उपमुख्य शीर्ष 00
लघु शीर्ष 104-कृषि फार्म
उपशीर्ष 0106-कृषि नवीनता में प्रोत्साहन

विपत्र कोड 01-2401001040106

(राशि रूपये में)

विषय शीर्ष	वास्तविकी 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	आय-व्ययक अनुमान 2019-2020
27-लघु कार्य				
0106-27-01 लघु कार्य	18,01,21,000	33,20,00,000	8,30,00,000	14,12,43,000
योग- **01-2401.00.104.0106.27** -लघु कार्य	**18,01,21,000**	**33,20,00,000**	**8,30,00,000**	**14,12,43,000**
योग- **01-2401.00.104.0106** -कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	**18,01,21,000**	**33,20,00,000**	**8,30,00,000**	**14,12,43,000**
योग-लघु शीर्ष- 01-2401.00.104-कृषि फार्म	18,01,21,000	33,20,00,000	8,30,00,000	14,12,43,000

मुख्य शीर्ष **2401 - फसल कृषि-कर्म**

उपमुख्य शीर्ष 00
लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
उपशीर्ष 0147-कृषि नवीनता में प्रोत्साहन

विपत्र कोड 01-2401007890147

(राशि रूपये में)

विषय शीर्ष	वास्तविकी 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	आय-व्ययक अनुमान 2019-2020
27-लघु कार्य				
0147-27-01 लघु कार्य	3,47,22,000	6,40,00,000	1,60,00,000	2,72,27,000
योग- **01-2401.00.789.0147.27** -लघु कार्य	**3,47,22,000**	**6,40,00,000**	**1,60,00,000**	**2,72,27,000**
योग- **01-2401.00.789.0147** -कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	**3,47,22,000**	**6,40,00,000**	**1,60,00,000**	**2,72,27,000**
योग-लघु शीर्ष- 01-2401.00.789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	53,96,14,259	1,56,02,26,000	1,88,14,21,000	1,91,65,24,000

मुख्य शीर्ष **2401 - फसल कृषि-कर्म**

उपमुख्य शीर्ष 00
लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना
उपशीर्ष 0169-कृषि नवीनता में प्रोत्साहन

विपत्र कोड 01-2401007960169

(राशि रूपये में)

विषय शीर्ष	वास्तविकी 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	आय-व्ययक अनुमान 2019-2020
27-लघु कार्य				
0169-27-01 लघु कार्य	21,70,000	40,00,000	10,00,000	17,02,000
योग- **01-2401.00.796.0169.27** -लघु कार्य	**21,70,000**	**40,00,000**	**10,00,000**	**17,02,000**
योग- **01-2401.00.796.0169** -कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	**21,70,000**	**40,00,000**	**10,00,000**	**17,02,000**
योग-लघु शीर्ष- 01-2401.00.796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना	2,40,58,782	9,75,15,000	11,75,87,000	11,97,84,000

चित्र 12- राज्य योजना के तहत अनुदान–वार व्यय (बिहार में जलवायु स्मार्ट कृषि)

प्रत्येक योजना में एक ही बजट कोड के तहत विभिन्न घटक होते हैं जिसके अनुसार बजट आवंटित किया जाता है। तालिका 2 बिहार के कृषि विभाग की जलवायु स्मार्ट कृषि योजना के घटकों को दर्शाती है। घटकों के आधार पर पर्यावरण प्रासंगिक शीर्ष को हरित बजट गतिविधि के लिए टैग किया गया है।

तालिका 2- बिहार में कृषि रोड मैप के अंतर्गत जलवायु स्मार्ट कृषि योजना का मदवार लक्ष्य

क्र.सं.	शीर्ष
1	बेस लाइन सर्वेक्षण एवं ग्राम विकास योजना
2	क्षमता/कौशल विकास, प्रशिक्षण सामग्री
3	किसानों की भागीदारी गतिविधि के लिए आवश्यक मशीनरी
4	किसानों की भागीदारी वाले प्रदर्शनों की परिचालन लागत
5	रणनीतिक शोध के लिए पूंजीगत वस्तुएं (उपकरण, औजार, मशीनरी आदि)
6	कार्यशाला, क्षेत्र–भमण दिवस, यात्रा सेमिनार, हितधारक बैठकें, यात्रा– राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
7	कार्मिक/वेतन/परामर्श (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय)
8	पीओआई/किराए पर लिए गए वाहन

[5.5] रेंज श्रेणियों की कार्यप्रणाली

योजनाओं के प्रतिशत योगदान के आधार पर आनुपातिक मार्कर प्रविधि का सुझाव दिया जा सकता है। ये ओईसीडी द्वारा उपयोग किए गए रियो मार्कर के आधार पर तैयार किया गया है लेकिन बाद में इसे विषयों, गतिविधियों और एसडीजी के लिए मानचित्रण किया गया है। रियो मार्करों का उपयोग क्षेत्र (ओईसीडी, एन.डी.) द्वारा जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन पर रियो मार्करों के विरुद्ध गतिविधि–स्तरीय स्क्रीनिंग और मार्किंग का समर्थन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया गया था। हरित बजट विवरण में ये छह रेंज श्रेणियां हो सकती हैं, जैसा कि तालिका 3 में दर्शाया गया है। विभिन्न योजनाओं और घटकों का वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, और बजट का आकलन करने के लिए, एक मानचित्रण अभ्यास सुझाया गया है जिसमें विषयों, गतिविधियाँ और एसडीजी शामिल हैं।

तालिका 3- हरित बजट विवरण के लिए छह श्रेणी श्रेणियां

हरित महत्त्व	पूर्ण (100%)	बहुत उच्च (75%–90%)	उच्च (75%–50%)	मध्यम (25%–50%)	कम (5%–25%)	सीमांत (1%–5%)
रेंज	1	2	3	4	5	6

परिभाषाएं	योजना या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर बताए गए पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले उद्देश्यों में से एक को पूरा करना होगा।	योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर इच्छित उद्देश्यों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा।	योजना या कार्यक्रम का आंशिक अभिप्राय पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले बताए गए उद्देश्यों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा।	योजना का आंशिक अभिप्राय पर्यावरण की स्थिति से समझौता किए बिना योजना या कार्यक्रम के इच्छित उद्देश्यों को पूरा करना होगा।	कोई घोषित अभिप्राय नहीं है लेकिन योजना या कार्यक्रम का अप्रत्यक्ष लेकिन सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होगा।	कोई स्पष्ट पर्यावरणीय लक्ष्य, या मापने योग्य अभिप्राय या गुणारोपण (एट्रिब्यूशन) निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन हरित उद्देश्यों के लिए सकारात्मक प्रतीत होता है।

[5.6] विषयों, गतिविधियों और एसडीजी का मानचित्रण

विषयों, गतिविधियों और एसडीजी के मानचित्रण से वर्तमान में पहचानी गई योजनाओं की स्थिति को समझने में सहायता मिलेगी और साथ ही कमियों की पहचान में भी मदद करेगी। मानचित्रण विषयों, गतिविधियों, और एसडीजी के लिए होना चाहिए। चूंकि सार्वजनिक नीतियां और कार्यक्रम, जैसा कि बजट लाइन–आइटम में दर्शाया गया है, आमतौर पर कई नीतिगत उद्देश्यों को संबोधित करते हैं जिन्हें एक–दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है,इसलिए योजनाएँ विभिन्न विषयों, गतिविधियों, और एसडीजी की कई श्रेणियों के अंतर्गत आ सकती हैं।

पहला महत्वपूर्ण कदम यह पहचानना है कि 'पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ क्या हैं'। पुनरावृत्तियों के आधार पर, दस विषयों की पहचान की गई जो विभिन्न विभागों से संबंधित थे (तालिका 4)। जलवायु परिवर्तन कमी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रदूषण निवारण, कचरा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी वनस्पति, सतत भूमि उपयोग, हरित बुनावट, सतत खपत, और हरित अर्थव्यवस्था

तालिका 4- हरित बजटिंग के लिए दस विषयों पर विचार किया जाना चाहिए

#	विषय	विवरण	उदाहरण
1.	प्रदूषण उन्मूलन	बजटीय गतिविधि प्रदूषण (जैसे वायु एवं जल) के विनियमन और वायु एवं जल की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित होनी चाहिए।	प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी प्रथाएं, स्वच्छ परिवहन पर स्विच करना
2.	अपशिष्ट प्रबंधन	बजटीय गतिविधि प्रभावी ढंग से अपशिष्ट (जैसे नगरपालिका, औद्योगिक, कृषि या रासायनिक) के प्रबंधन से संबंधित होनी चाहिए ताकि इससे स्वच्छ वातावरण बन सके।	सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र, अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधा, अपशिष्ट–जल उपचार
3.	जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी	बजटीय गतिविधि वनों, वन्यजीवों, भूमि, प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण एवं संरक्षण और स्वदेशी गतिविधियों के प्रसार से संबंधित होनी चाहिए।.	वन्यजीव संरक्षण, वानिकीकरण कार्यक्रम
4.	जलवायु कार्रवाई	बजटीय गतिविधि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने या अनुकूलन से संबंधित होनी चाहिए।	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन
5.	संधारणीय भूमि उपयोग	बजटीय गतिविधि ग्रामीण या शहरी संदर्भ में, भूमि के संधारणीय और पर्यावरण–अनुकूल उपयोग से संबंधित होनी चाहिए।	सड़क के किनारे पेड़ लगाना, कृषि वानिकी
6.	संधारणीय कृषि एवं मत्स्य पालन	बजट संबंधित गतिविधि को पारंपरिक कृषि गतिविधियों और संबद्ध क्षेत्रों जैसे मत्स्यपालन या बागवानी में संधारणीय अनुकूल प्रथाओं से जोड़ा जाना चाहिए।	जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली
7.	संधारणीय पर्यावरण–पर्यटन	बजट संबंधित गतिविधि को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत और पर्यावरण–अनुकूल प्रथाओं से जोड़ा जाना चाहिए, साथ ही सतत पर्यटक गतिविधियों को सुनिश्चित करना चाहिए।	जू सफारी की स्थापना, पर्यटकों के लिए शौचालयों का निर्माण
8.	जल प्रबंधन	बजट संबंधित गतिविधि को जल का योग्य और सतत उपयोग से जोड़ा जाना चाहिए, साथ ही सभी उद्देश्यों के लिए स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए।	कुंओं का जीर्णोद्धार, वर्षा जल संचयन

9.	संधारणीय ऊर्जा	बजटीय गतिविधि सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग और प्रचार से संबंधित होनी चाहिए।	सौर पैनलों की स्थापना, नवीकरणीय ऊर्जा
10.	संधारणीय उपभोग एवं उत्पादन	बजटीय गतिविधि बर्बादी से बचने के लिए कटौती, पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण पर आधारित जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन प्रथाओं से संबंधित होनी चाहिए।.	प्लास्टिक के अपशिष्ट से सड़क का निर्माण

अगला कदम राज्य सरकार की मानचित्र पहलों को उनकी गतिविधि के प्रकार के अनुसार समझना है। इससे नीति स्तर के हस्तक्षेपों और विकास को समझने में मदद मिल सकती है। सिफ़ारिश इस संदर्भ में हो सकती है कि किन नई पहलों की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में गतिविधियों को और मजबूत किया जा सकता है। बारह प्रकार की गतिविधियों की पहचान की गई (तालिका 5)।

तालिका 5- मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार

#	गतिविधि श्रेणी	विवरण	उदाहरण
1.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	कोई भी बजटीय गतिविधि जो सीधे जमीनी कार्यान्वयन में योगदान देती है जिसके परिणामस्वरूप भौतिक परिणाम मिलते हैं।	लोक कार्यों के माध्यम से संपत्ति निर्माण
2.	संस्थागत क्षमता निर्माण	कोई भी बजटीय गतिविधि जो संस्थागत प्रक्रियाओं की क्षमता बढ़ाने में योगदान देती है।	योजना और कार्यान्वयन में पर्यावरण के एकीकरण को बेहतर ढंग से करने के लिए विभागों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
3.	कुशलता	कोई भी बजटीय गतिविधि जो व्यापक कार्यान्वयन के लिए मानव पूंजी की क्षमताओं और विशेषज्ञता को बढ़ाने में योगदान देती है।	लाभार्थियों का प्रशिक्षण एवं कुशलता
4.	प्रौद्योगिकी एवं अधिसंरचना	कोई भी बजटीय गतिविधि जो स्वच्छ/पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों और सतत बुनियादी संरचनाओं का लागू होने में योगदान करती है।	स्वच्छ प्रौद्योगिकी परिनियोजन (सामान्य–प्रवाह उपचार संयंत्र, पुनर्चक्रण इकाई, सौर छत, हरित भवन)
5.	शिक्षा एवं जागरूकता	कोई भी बजटीय गतिविधि जो औपचारिक शिक्षा और अन्य सूचना/संचार चैनलों के माध्यम से जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने में योगदान देती है।	आइईसी और औपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम

6.	विनियमन एवं प्रवर्तन	कोई भी बजटीय गतिविधि जो विभिन्न अधिनियमों, नियमों और नीति अधिसूचनाओं को विनियमित करने और लागू करने में योगदान देती है।	प्रदूषण नियंत्रण मानदंड, अपशिष्ट प्रबंधन मानदंड, प्रतिबंध
7.	अनुदान	कोई भी बजटीय गतिविधि जो पर्यावरण की दृष्टि से सतत गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में योगदान देती है।	नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अनुदान
8.	जोखिम प्रबंधन	कोई भी बजटीय गतिविधि जो पर्यावरणीय/स्वच्छ ऊर्जा पहलों को अपनाने से संबंधित जोखिमों या जलवायु चरम स्थितियों सहित पर्यावरणीय बाह्यताओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने में योगदान देती है।	फसल बीमा, आंशिक जोखिम गारंटी
9.	सूचना उपकरण	कोई भी बजटीय गतिविधि जो पर्यावरणीय मापदंडों पर वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में योगदान देती है।	इको–लेबल, मानकों
10.	अनुसंधान एवं विकास	कोई भी बजटीय गतिविधि जो विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अनुप्रस्थ दृष्टिकोण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों, नवाचारों और ज्ञान को विकसित करने में योगदान देती है।	कृषि विश्वविद्यालयों और केवीके का समर्थन
11.	सतत लोक संविदान	कोई भी बजटीय गतिविधि जो उत्पादों और वस्तुओं की खरीद में योगदान देती है और पर्यावरण की दृष्टि से सतत वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बाजार उपलब्ध कराती है।	एलईडी और ऊर्जा कुशल उपकरणों की खरीद के लिए थोक योजना
12.	निवेश	कोई भी बजटीय गतिविधि जो उन अवसरों में योगदान करती है जिनमें राजस्व या मुनाफे के संदर्भ में आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता होती है ।	मेट्रो रेल

एसडीजी मानचित्रण से पता चलता है कि सरकार की पहल सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को कैसे पूरा करती है। इस मानचित्रण से नीति दस्तावेज़ों को एसडीजी और उनके लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाता है, विशिष्ट शब्दों के माध्यम

से, जिससे यह समझा जा सकता है कि नीतियाँ एसडीजी ढांचे से कैसे संबंधित हैं। इससे सतत विकास के लिए सुसंगत और एकीकृत नीतियों को डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी करने की सरकारी क्षमता मजबूत हो सकती है। एसडीजी के साथ योजनाओं की मानचित्रण में सरकार की सहायता के लिए, सरकारी विभाग एमओएसपीआई द्वारा राष्ट्रीय संकेतक ढांचे और नीति आयोग द्वारा एसडीजी सूचकांक जैसे निर्णय–समर्थन उपकरणों की सहायता ले सकते हैं।

विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बॉटम–अप मानचित्रण अभ्यास में, बिहार के लिए 12 एसडीजी को पर्यावरण संबंधित एसडीजी के रूप में पहचाना गया। तालिका 6 में 12 एसडीजी को 19 विभागों के साथ मैप किया गया है जिन्होंने हरित बजटिंग के लिए जानकारी प्रदान की थी।

तालिका 6- विभिन्न विभागों के लिए एसडीजी मानचित्रण का उदाहरण

#	विभाग	एसडीजी
1.	कृषि विभाग	
2.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	
3.	भवन निर्माण विभाग	
4.	शिक्षा विभाग	
5.	ऊर्जा विभाग	
6.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	
7.	स्वास्थ्य विभाग	
8.	उद्योग विभाग	
9.	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	
10.	लघु जल संसाधन विभाग	
11.	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	
12.	पथ निर्माण विभाग	
13.	ग्रामीण विकास विभाग	

14.	ग्रामीण कार्य विभाग	
15.	गन्ना उद्योग विभाग	
16.	पर्यटन विभाग	
17.	परिवहन विभाग	
18.	नगर विकास विभाग	
19.	जल संसाधन विभाग	

[5.7] हरित बजट विवरण की संरचना

इस बजट के चार मुख्य घटक होंगे।

पहले घटक में सभी पहचानी गई विभाग–वार योजनाएं और गतिविधियां उनके उद्देश्यों के साथ शामिल होंगी जिनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरित प्रासंगिकता है।

दूसरा घटक विभाग–वार हरित बजटिंग का मैपिंग शामिल होगा, जो पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व के आधार पर बजटीय आवंटन, गतिविधियों और एसडीजीजी को मैप करेगा।

तीसरा घटक वर्तमान और अगले वित्तीय वर्ष में पहचाने गए बजट बनाम आवंटित बजट के विशेष संदर्भ में संपूर्ण विवरण का निष्कर्ष होगा। इसमें हरित बजट की तुलना में कुल बजट परिव्यय, जीएसडीपी और अन्य बजट योगदान के साथ एक सांख्यिकीय तुलना भी शामिल होगी। चित्र 13 हरित बजट की संरचना प्रस्तुत करता है, जो हरित बजट तैयार करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रमुख ढांचा की पहचान में मदद करेगा।

चौथा घटक, जो अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, विभाग–वार प्रस्तावित गतिविधियों या योजनाओं के विस्तृत सारणियों को शामिल करेगा जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हैं, जो उनके 'पर्यावरणीय स्थिरता प्रासंगिकता' के अनुपात पर आधारित होंगे।

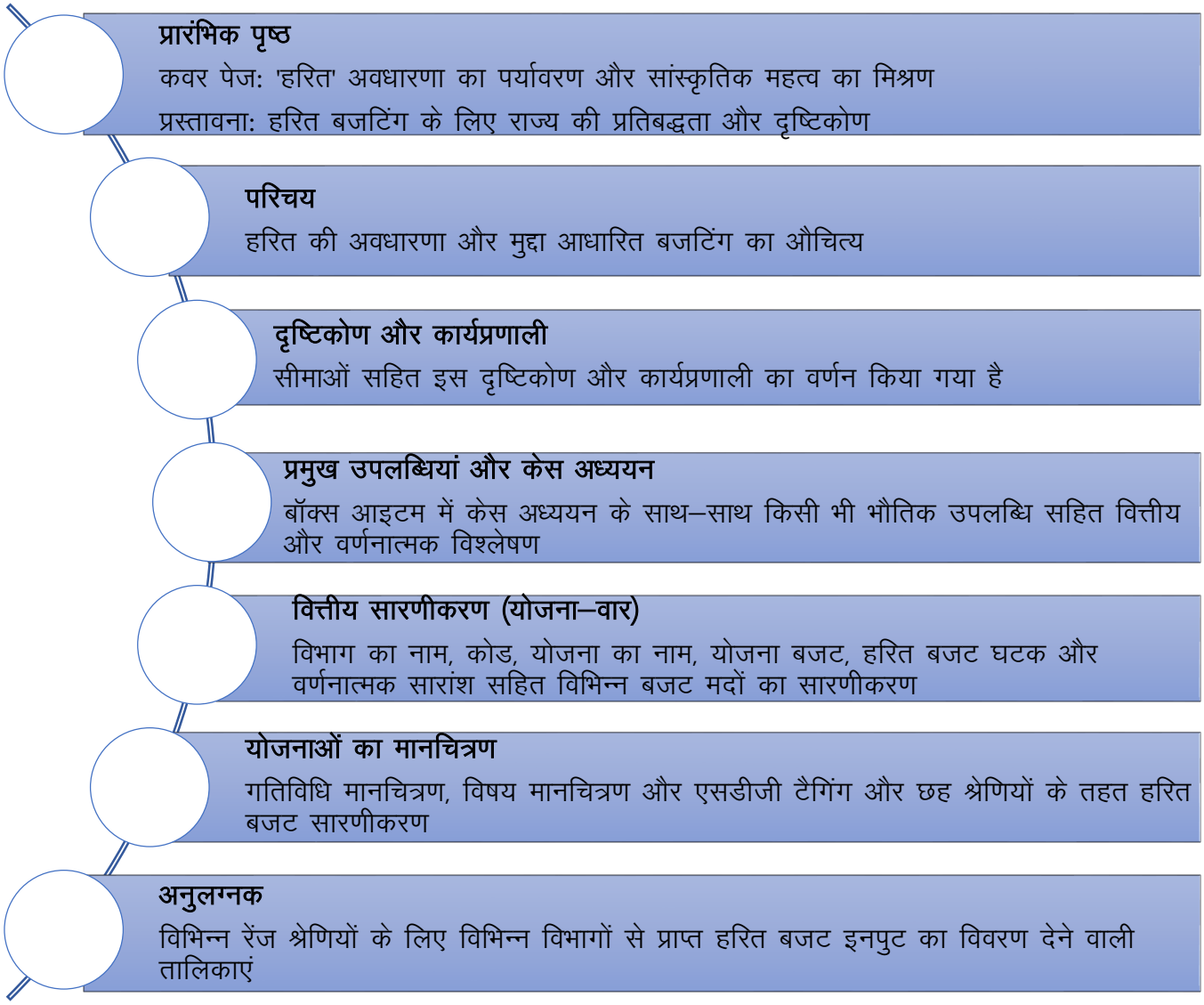

चित्र 13- हरित बजट रिपोर्ट का लेआउट

[5.8] सीमाएं

पहले कदम के रूप में हरित बजटिंग पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी और व्यय और नीति कार्यों को बढ़ावा देने वाले वातावरण की रिपोर्टिंग के लिए एक लेखांकन उपकरण के रूप में काम करना चाहता है जो हितधारकों को सूचित करने में मदद कर सकता हैः कौन (कौन सा सरकारी विभाग) किस पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर पैसा खर्च करता है, कितना खर्च करता है और किस पहलू के लिए खर्च करता है। यहां रिपोर्ट की सीमाओं पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है।

1. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए बजट व्यय का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है।
2. केवल सकारात्मक व्ययों का विश्लेषण सम्पूर्ण कहानी नहीं बताता है।
3. बजट के दायरे में पर्यावरण संबंधी नियम शामिल नहीं हैं
4. सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए हो सकता है।
5. हरित बजट पर्यावरणीय व्यय की दक्षता का मूल्यांकन नहीं करता है।

हालांकि, इन प्रतिबंधनों के बावजूद, इस प्रक्रिया के फायदे को नकार नहीं सकते। इस अभ्यास में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सतत ऊर्जा, सतत शहरीकरण, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण नीति, बजट और कर नीति और समावेशी टिकाऊ विकास पर कार्य धाराओं को एक साथ लाने की क्षमता है। सहमत परिभाषाएँ और पद्धतियाँ राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तर पर हरित बजटिंग का समर्थन कर सकती हैं जो राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय नीति डिजाइन के बीच तालमेल और समन्वय को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। यह मौजूदा पहलों के लिए फीडबैक तंत्र के रूप में कार्य करने के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग दायित्वों का भी समर्थन कर सकता है।

अध्याय– 6

अनुषंसा और भावी दिषा

हरित बजटिंग प्रक्रिया एक साधन है, साध्य नहीं। हरित बजट को योजना, डिजाइन और समन्वय या तालमेल के क्षेत्रों में सहायता के लिए एक खोजपूर्ण उपकरण भी माना जाना चाहिए। हरित बजटिंग का नीति नवाचार का प्रारंभिक चरण एक लेखा अभ्यास की तरह दिख सकता है, लेकिन विभिन्न विभागों के प्रभाव का आत्म–विचार करना कि उनकी योजनाओं के कौन–कौनसे घटक पर्यावरण में योगदान कर रहे हैं, यह बजटिंग के साथ–साथ जलवायु क्रिया और सतत विकास के क्षैतिज एकीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

- बिहार राज्य को हरित बजट विवरण तैयार करने का कार्य नियमित रूप से जारी रखना चाहिए।
- जैसे–जैसे विभागों में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों की प्रक्रिया और समझ को आंतरिक किया जाता है, बजट प्रक्रिया उसके पश्चात विकसित होगी जिसमें बजट शीर्षों का स्पष्ट चित्रण शामिल होगा।
- भविष्य में, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के लिए उन क्षेत्रों की बेहतर योजना बनाने, पहचान करने और मैप करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों द्वारा हरित बजटिंग गतिविधियों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी जहां विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में पर्यावरण और एसडीजी को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके।
- इसके अलावा, एक दीर्घकालिक ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जा सकती है जो अधिकारियों को व्यय पर नजर रखने में सक्षम बनाएगी। इसके बाद, कमियों की पहचान करने में मदद के लिए इन्हें एसडीजी के साथ टैग किया जा सकता है। इन अंतरालों के लिए, सरकार राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, निजी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त से संसाधन जुटाने की योजना विकसित कर सकती है।
- शोध संगठनों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके एक सहकर्मी–समीक्षा तंत्र स्थापित किया जा सकता है जो हरित बजटिंग की प्रक्रिया में इनपुट प्रदान करने का मूल्यांकन कर सकता है।
- आगामी वर्षों में हरित बजटों का और भी विकास हो सकता है, जिसमें कार्यक्रमों का मूल्यांकन, नेट बजटिंग, अन्य वित्तीय नीति साधनों, और वित्तीय योजना के पहलुओं को शामिल किया जा सकता है।

संदर्भ

बोवा, ई. (2021)। यूरोपीय संघ में हरित बजटिंग प्रथाएँ: एक पहली समीक्षा। यूरोपीय अर्थव्यवस्था—चर्चा पत्र 2015—, (140)।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (2021)। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020। नई दिल्ली: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन। https://stateenergyefficiencyindex.in/wp-content/uploads/2021/10/SEEI-2020-Report-Final-web.pdf

सीबीजीए—यूनिसेफ। (अदिनांकित), भारत में बाल बजटिंगरू केंद्रीय बजट में हाल की आवंटन का विश्लेषण। बजट और गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फंड (यूनिसेफ)।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। (2020)। जल गुणवत्ता डेटा वर्ष 2020। 04 अगस्त, 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त: https://cpcb.nic.in/nwmp-data/

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। (2021)। *वार्षिक रिपोर्ट 2020—21* / दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)। https://cpcb.nic.in/openpdffile.php से प्राप्त।

चक्रवर्ती, एल. (2016)। एशिया: जेंडर बजटिंग प्रयासों का सर्वेक्षण। वाशिंगटन, डीसी: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।

एफएसआई (2022), भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021, देहरादून: भारतीय वन सर्वेक्षण।

जीओबी. (2019)। बिहार में बाल बजट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया। वित्त विभाग, बिहार सरकार (जीओबी)।

जीओबी. (2021)। हरित बजट 2020—21. वित्त विभाग, बिहार सरकार।

जीओबी. (2022)। हरित बजट 2021—22. वित्त विभाग, बिहार सरकार।

जीओओ. (2020)। बाल बजट 2020—21। वित्त विभाग, ओडिशा सरकार (जीओओ), फरवरी 2020।

बिहार सरकार. (2015)। जलवायु परिवर्तन पर बिहार राज्य कार्य योजना: विकास के माध्यम से सहर्षता बनाए रखना। पटना, बिहार: बिहार सरकार।

भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली। (2022, 08 01)। भारत—WRIS। भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त: https://indiawris.gov.in/wris/#/

जैकब, जे.एफ. (2020)। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन उपकरण के रूप में बाल उत्तरदायी बजटिंग: कर्नाटक, भारत का एक मामला। कर और स्थानांतरण नीति संस्थान, वर्किंग पेपर, 14.अंतराल/समस्या विवरण

झांब, बी., मिश्रा, वाई., और सिन्हा, एन. (2013)। लिंग–उत्तरदायी बजटिंग का विरोधाभास। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 35–38.

लाहिड़ी, ए., चक्रवर्ती, एल., भट्टाचार्य, पी.एन., भसीन, ए., और मुखोपाध्याय, एच. (2002)। भारत में जेंडर बजटिंग। यूनिफेम, दक्षिण एशिया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

मैथ्यू, एल. (2007). नीति परिवर्तन के लिए एक रणनीति के रूप में बाल बजटिंग। सामाजिक नीति एवं प्रशासन, 41(4), 395–400।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। (2019)। भारत में राज्यवार भूमि उपयोग वर्गीकरण (2018–2019)। *कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (ON2807)* / इंडियास्टेट. 19 जुलाई 2022 को प्राप्त।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। (2020)। भारत में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) के तहत कवर किए गए चयनित राज्य–वार क्षेत्र (31.03.2020 तक)। *कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (ON2738) एवं (ON2807)* / इंडियास्टेट. 02 अगस्त 2022 को प्राप्त।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। (2021)। भारत में उर्वरक पोषक तत्वों की राज्यवार खपत (2020–2021)। *कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (ON2946)* / इंडियास्टेट. 29 जुलाई 2022 को प्राप्त।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। (2020)। जैव चिकित्सा अपशिष्ट। लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1024, दिनांक 07.02.2020, *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार* / http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/173/AU1024.pdf को प्राप्त।

जल शक्ति मंत्रालय। (2013)। भारत में सिंचाई के लिए राज्य–वार अनुमानित जल आवश्यकता (2025 और 2050)। *लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4029, दिनांक 21.03.2013, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार* / इंडियास्टेट. 01 अगस्त 2022 को प्राप्त।

विद्युत मंत्रालय. (2020)। भारत में बिजली उपभोक्ताओं (उपयोगिताओं) की राज्य / श्रेणी–वार संख्या (31.03.2020 तक)। *विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (ON2809)* / इंडियास्टेट. 22 जुलाई 2022 को प्राप्त।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। (2020)। *अपशिष्ट का संग्रहण एवं प्रसंस्करण* / लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3271 दिनांक 13.03.2020, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/173/AU3271.pdf को प्राप्त।

एमओएफ. (2022)। व्यय प्रोफ़ाइल 2022–23। वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार।

मुचाबैवा, बी.एल. (2010)। जिम्बाब्वे में जेंडर–संवेदनशील और बच्चों के अनुकूल बजटिंग। मैकनील, एम. और मैलेना, सी.(संपादक), 109–135।

नीति आयोग. (2019)। *समग्र जल प्रबंधन सूचकांक* / नई दिल्ली, भारत: नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

ओ'हागन, ए. (2018)। लिंग बजटिंग की वैचारिक और संस्थागत उत्पत्ति। यूरोप में जेंडर बजटिंग में (पृ. 19–42)। पालग्रेव मैकमिलन, चाम।

ओईसीडी. (एन .डी.)। क्लाइमेट हैंडबुक के लिए ओईसीडी डीएसी रियो मार्कर। पेरिसरू आर्थिक सहयोग और विकास संगठन।

ओ'हागन, ए., और क्लैत्ज़र, ई. (सं.). (2018)। यूरोप में जेंडर बजटिंग: विकास और चुनौतियाँ। स्प्रिंगर।

पीईएफए. (2020)। जलवायु उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचा (पीईएफए जलवायु)। सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही।

पेट्री, एम. (2021)। हरित बजटिंग का विकास। में: पर्यावरण प्रशासन और हरित राजकोषीय नीति। प्रभाव वित्त में पालग्रेव अध्ययन। पालग्रेव मैकमिलन, चाम।

पोल्ज़र, टी., नोल्टे, आई.एम., और सीवाल्ड, जे. (2021)। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में लिंग बजटिंगरू एक साहित्य समीक्षा और अनुसंधान एजेंडा। प्रशासनिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, डीओआई: 00208523211031796।

पीएससीएसटी–टेरी। (2014)। पंजाब में हरित बजट के लिए कार्य योजना: अवधारणाएँ, तर्क और आगे के रास्ते। ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) और पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (पीएससीएसटी)। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार द्वारा समर्थित।

क्विन, एस. (2016)। यूरोप: जेंडर बजटिंग प्रयासों का एक सर्वेक्षण। वाशिंगटन, डीसी: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।

रसेल, डी., और बेन्सन, डी. (2014)। तपस्या के युग में हरित बजटिंग: एक ट्रान्साटलांटिक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य। पर्यावरण राजनीति, 23(2), 243–262.

सिन्हा, केएपी, जेरथ, एन, केडिया, एस, लधर, एसएस, जैन, आर और वाडिवेलु, जीए। (2015)। पंजाब, भारत में हरित बजटिंग के लिए कार्य योजना। द इंटरनेशनल जर्नल ऑन ग्रीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 1(2): 121–124।

टेरी. (2020)। बिहार राज्य के लिए हरित बजटिंग। ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी)। यूआरएल: https://www.teriin.org/project/green-budgeting-state-bihar (अंतिम बार 30 मार्च 2022 को एक्सेस किया गया)।

विल्किंसन, डी., डी. बेन्सन और ए. जॉर्डन। (2008)। "हरित बजटिंग"। इनरू पर्यावरण नीति में नवाचार? स्थिरता के लिए पर्यावरण को एकीकृत करना (संपादक: एंड्रयू जे. जॉर्डन और एंड्रिया लेन्सचो), एडवर्ड एल्गर, चेल्टेनहैम, यूके और नॉर्थम्प्टन, एमए, यूएसए, पृ.70–92।

अनुलग्नक: हरित बजट विवरण तैयार करने के लिए मानक टेम्पलेट/प्रोफार्मा

हरित बजट वक्तव्य

_____विभाग

वित्तीय वर्ष _____

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना (उप–शीर्ष)	बजट विवरण (लाख रुपये में)						कार्यक्रम/योजना का मुख्य उद्देश्य	हरित कार्यक्रम/योजना का महत्व	पर्यावरण स्थिरता विषय	एसडीजी *	गतिविधि श्रेणी*
			वित्तीय वर्ष (पिछला वर्ष)				वित्तीय वर्ष (चालू वर्ष)						
			बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान	बजट वास्तविक	हरित बजट वास्तविक	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* यह परिचित किया जा सकता है।